



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 03 जनवरी 2026 ई० (पौष 13, 1947 शक संवत्) [संख्या 01

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	1-20	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1-22	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1-38	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

आवश्यक सूचना

1—गजट के न मिलने की सूचना गजट में प्रकाशित होने से 15 दिन के अन्दर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्राप्त होनी चाहिये। उसके बाद के परिवादों की कोई सुनवाई न होगी। केवल गजट की वही प्रतियां पुनः बगैर कीमत भेजी जा सकेंगी जो डिलीवरी न होने के कारण वापस आई हों।

2—सम्पूर्ण गजट के ग्राहकों को असाधारण गजट की सम्पूर्ति की जाती है। असाधारण गजट नवीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ से वितरित होता है। अतः असाधारण गजट के सम्बन्ध में यदि कोई पत्र-व्यवहार करना हो तो कृपया उक्त पते पर ही करें। सम्पूर्ण गजट का वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दा 20 सितम्बर, 1997 से क्रमशः रु0 3,075.00 एवं रु0 1,560.00 हो गया है।

3—गजट के प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा प्रत्येक के सामने अलग-अलग अंकित है। भाग-1 का वार्षिक चन्दा रु0 1,500.00 तथा छमाही चन्दा रु0 780.00 है। स्टोर्स-पर्चेज का वार्षिक चन्दा रु0 1,425.00 तथा अर्द्धवार्षिक चन्दा रु0 750.00 है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा रु0 975.00 तथा अर्द्धवार्षिक रु0 555.00 है।

प्रत्येक गजट अथवा गजट (साधारण अथवा असाधारण) के भागों के वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दे की राशि में यदि कोई परिवर्तन किन्हीं अपरिहार्य कारणोंवश होता है तो उसकी सूचना अलग से दी जायेगी।

4—उत्तर प्रदेश राजपत्र (गजट) के स्थायी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि वे अर्द्धवार्षिक और वार्षिक चन्दा समाप्त होने की तारीख से एक मास पूर्व ही अपना नवीन चन्दा गजट के लिये इस कार्यालय को भेज देने की कृपा करें, जिससे गजट के भेजने का क्रम टूटने न पावे और नियमित रूप से उन्हें हम गजट भेजते रहें। इससे ग्राहकों को भी असुविधा नहीं होगी और वे निश्चित समय पर गजट प्राप्त कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में, मैं यह भी सूचित करना आवश्यक समझता हूँ कि पूर्ण वर्ष के ग्राहक अब जनवरी से दिसम्बर तक के लिये ही बनाये जायेंगे। इनके बीच के महीनों में चन्दा प्राप्त होने पर ग्राहकों का नाम उसी वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक के लिये तथा जैसी स्थिति होगी, अंकित किया जायेगा।

ग्राहकों से यह भी निवेदन है कि वे अपने पत्रों का उत्तर शीघ्र पाने के लिये पत्रव्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें अन्यथा उत्तर देने में इस कार्यालय को कठिनाई या विलम्ब हो सकता है।

पुनीत कुमार तिवारी,
निदेशक,
मुद्रण एवं लेखनसामग्री, विभाग,
उ0प्र0, प्रयागराज।

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

महिला कल्याण विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

31 जुलाई, 2024 ई0

सं0 21/2024/706491/60-1099/131/2024—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-04 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या-967/60-1-21-1/13 (69)/04, दिनांक 23 जुलाई, 2021 द्वारा प्रत्येक जिले में 03 वर्ष के लिए किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति का आदेश श्री राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदान किया गया था।

2— उक्त बोर्ड का कार्यकाल दिनांक 22 जुलाई, 2024 को समाप्त होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल द्वारा किशोर न्याय बोर्ड की चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तथा अधिसूचना निर्गत होने तक वर्तमान किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल एतद्-द्वारा बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं0 22/2024/706495/60-1099/131/2024—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-27 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियमावली, 2019 के नियम-87 के अधीन अधिसूचना संख्या-979/60-1-21-1/13(69)/04, दिनांक 23 जुलाई, 2021 द्वारा प्रत्येक जिले में 03 वर्ष के लिए एक बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति का आदेश श्री राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदान किया गया था।

2— उक्त समिति का कार्यकाल दिनांक 22 जुलाई, 2024 को समाप्त होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल द्वारा बाल कल्याण समिति की चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तथा अधिसूचना निर्गत होने तक वर्तमान बाल कल्याण समिति का कार्यकाल एतद् द्वारा बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सुधा वर्मा,

विशेष सचिव।

अनुभाग-3

05 अगस्त, 2024 ई0

सं0 835/60-3-2024-3(65)/97—दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 28, सन् 1961) की धारा 8-ख की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-3455/छब्बीस-2-88/11(एम) 85 दिनांक 06 दिसम्बर, 1989 के क्रम में राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ-दो में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अनुसूची के स्तम्भ-तीन में प्रत्येक के समक्ष उल्लिखित जिलों में “दहेज प्रतिषेध अधिकारी” के रूप में नियुक्त करते हैं।

राज्यपाल अग्रतर विनिर्दिष्ट करते हैं कि उक्त अधिकारी नीचे अनुसूची के स्तम्भ-तीन में प्रत्येक के समक्ष यथा उल्लिखित अपने-अपने जिलों के क्षेत्र के संबंध में पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन अपनी अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

अनुसूची

क्रम संख्या	अधिकारियों का पदनाम	अधिकारिता
1	2	3
		(जिला)–
1	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	आगरा
2	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	अलीगढ़
3	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	अम्बेडकर नगर
4	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	अमेठी
5	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	औरैया
6	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	आजमगढ़
7	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	बागपत
8	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	बलिया
9	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	बलरामपुर

1	2	3
		(जिला)–
10	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	बांदा
11	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	बाराबंकी
12	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	बरेली
13	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	बस्ती
14	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	बहराइच
15	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	बिजनौर
16	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	बदायूँ
17	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	बुलन्दशहर
18	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	चंदौली
19	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	चित्रकूट

1	2	3
		(जिला)–
20	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	देवरिया
21	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	एटा
22	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	इटावा
23	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	अयोध्या
24	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	फर्रुखाबाद
25	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	फतेहपुर
26	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	फिरोजाबाद
27	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	गौतमबुद्ध नगर (नोएडा)
28	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	गाजियाबाद
29	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	गाजीपुर

1	2	3
		(जिला)–
30	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	गोण्डा
31	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	गोरखपुर
32	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	हापुड़
33	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	हमीरपुर
34	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	हरदोई
35	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	जालौन
36	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	जौनपुर
37	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	झांसी
38	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	ज्योतिबाफुले नगर (अमरोहा)

1	2	3
		(जिला)–
39	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	कानपुर नगर
40	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	कन्नौज
41	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	कांशीराम नगर (कासगंज)
42	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	कौशाम्बी
43	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	कुशीनगर (पडरौना)
44	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	लखीमपुर खीरी
45	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	ललितपुर
46	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	लखनऊ
47	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	हाथरस
48	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	महाराजगंज

1	2	3
		(जिला)–
49	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	महोबा
50	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	मैनपुरी
51	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	मथुरा
52	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	मऊ
53	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	मेरठ
54	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	मिर्जापुर
55	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	मुरादाबाद
56	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	मुजफ्फरनगर
57	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	पीलीभीत
58	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	प्रतापगढ़

1	2	3
		(जिला)–
59	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	प्रयागराज
60	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	रायबरेली
61	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	कानपुर देहात
62	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	रामपुर
63	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	सहारनपुर
64	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	सम्भल
65	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	सन्तकबीर नगर (खलीलाबाद)
66	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	सन्त रविदास नगर (भदोही)
67	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	शाहजहाँपुर
68	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	शामली

1	2	3
		(जिला)–
69	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	श्रावस्ती
70	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	सिद्धार्थनगर
71	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	सीतापुर
72	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	सोनभद्र
73	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	सुलतानपुर
74	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	उन्नाव
75	1–मुख्य विकास अधिकारी 2–अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 3–सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट	वाराणसी

आज्ञा से,
वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव।

Mahila Kalyan Department

Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to Order the publication of the following English translation of Notification no. 835/60-3-2024-3(65)/97 dated 05 August, 2024–

Notification

05 August, 2024

No. 835/60-3-2024-3(65)/97— In exercise of the powers under Sub-section (1) of section 8-B of the Dowry Prohibition Act, 1961 (Act no. 28 of 1961) and in continuance of Notification no. 3455/Twenty-six-2-88/11(M)85 dated 06-12-1989, the Governor is pleased to appoint the Officers mentioned in Column-II of the Schedule below as "Dowry Prohibition Officer" in the Districts mentioned against each in Column-III of the said Schedule.

The Governor is further pleased to specify that the said Officers shall exercise their jurisdiction and powers under the aforesaid Act in respect of the area of their respective Districts as mentioned against each in Column-III of the Schedule below –

SCHEDULE

Sl. No.	Designation of Officers	Jurisdiction
1	2	3
		(District)–
1	1-Chief Development Officer	Agra
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
2	1-Chief Development Officer	Aligarh
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
3	1-Chief Development Officer	Ambedkar Nagar
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
4	1-Chief Development Officer	Amethi
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
5	1-Chief Development Officer	Auraiya
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
6	1-Chief Development Officer	Azamgarh
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	

1	2	3
		(District)–
7	1-Chief Development Officer	Baghpat
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
8	1-Chief Development Officer	Ballia
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
9	1-Chief Development Officer	Balrampur
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
10	1-Chief Development Officer	Banda
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
11	1-Chief Development Officer	Barabanki
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
12	1-Chief Development Officer	Bareilly
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
13	1-Chief Development Officer	Basti
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
14	1-Chief Development Officer	Bahraich
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
15	1-Chief Development Officer	Bijnor
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
16	1-Chief Development Officer	Budaun
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	

1	2	3
		(District)–
17	1-Chief Development Officer	Bulandshahr
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
18	1-Chief Development Officer	Chandauli
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
19	1-Chief Development Officer	Chitrakoot
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
20	1-Chief Development Officer	Deoria
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
21	1-Chief Development Officer	Etah
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
22	1-Chief Development Officer	Etawah
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
23	1-Chief Development Officer	Ayodhya
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
24	1-Chief Development Officer	Farrukhabad
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
25	1-Chief Development Officer	Fatehpur
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
26	1-Chief Development Officer	Firozabad
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	

1	2	3
		(District)–
27	1-Chief Development Officer	Gautam Buddha Nagar (Noida)
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
28	1-Chief Development Officer	Ghaziabad
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
29	1-Chief Development Officer	Ghazipur
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
30	1-Chief Development Officer	Gonda
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
31	1-Chief Development Officer	Gorakhpur
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
32	1-Chief Development Officer	Hapur
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
33	1-Chief Development Officer	Hamirpur
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
34	1-Chief Development Officer	Hardoi
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
35	1-Chief Development Officer	Jalaun
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	

1	2	3
		(District)–
36	1-Chief Development Officer 2-Additional District Magistrate (Administration) 3- Sub-Divisional Magistrate	Jaunpur
37	1-Chief Development Officer 2-Additional District Magistrate (Administration) 3- Sub-Divisional Magistrate	Jhansi
38	1-Chief Development Officer 2-Additional District Magistrate (Administration) 3- Sub-Divisional Magistrate	Jyotiba Phule Nagar (Amroha)
39	1-Chief Development Officer 2-Additional District Magistrate (Administration) 3- Sub-Divisional Magistrate	Kanpur Nagar
40	1-Chief Development Officer 2-Additional District Magistrate (Administration) 3- Sub-Divisional Magistrate	Kannauj
41	1-Chief Development Officer 2-Additional District Magistrate (Administration) 3- Sub-Divisional Magistrate	Kanshiram Nagar (Kasganj)
42	1-Chief Development Officer 2-Additional District Magistrate (Administration) 3- Sub-Divisional Magistrate	Kaushambi
43	1-Chief Development Officer 2-Additional District Magistrate (Administration) 3- Sub-Divisional Magistrate	Kushinagar (Padrauna)
44	1-Chief Development Officer 2-Additional District Magistrate (Administration) 3- Sub-Divisional Magistrate	Lakhimpur Kheri
45	1-Chief Development Officer 2-Additional District Magistrate (Administration) 3- Sub-Divisional Magistrate	Lalitpur

1	2	3
		(District)–
46	1-Chief Development Officer	Lucknow
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
47	1-Chief Development Officer	Hathras
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
48	1-Chief Development Officer	Maharajganj
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
49	1-Chief Development Officer	Mahoba
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
50	1-Chief Development Officer	Mainpuri
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
51	1-Chief Development Officer	Mathura
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
52	1-Chief Development Officer	Mau
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
53	1-Chief Development Officer	Meerut
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
54	1-Chief Development Officer	Mirzapur
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
55	1-Chief Development Officer	Moradabad
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	

1	2	3
		(District)–
56	1-Chief Development Officer	Muzaffarnagar
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
57	1-Chief Development Officer	Pilibhit
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
58	1-Chief Development Officer	Pratapgarh
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
59	1-Chief Development Officer	Prayagraj
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
60	1-Chief Development Officer	Raebareli
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
61	1-Chief Development Officer	Kanpur Dehat
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
62	1-Chief Development Officer	Rampur
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
63	1-Chief Development Officer	Saharanpur
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
64	1-Chief Development Officer	Sambhal
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
65	1-Chief Development Officer	Sant Kabir Nagar (Khalilabad)
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	

1	2	3
		(District)–
66	1-Chief Development Officer	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
67	1-Chief Development Officer	Shahjahanpur
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
68	1-Chief Development Officer	Shamli
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
69	1-Chief Development Officer	Shravasti
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
70	1-Chief Development Officer	Siddharthnagar
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
71	1-Chief Development Officer	Sitapur
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
72	1-Chief Development Officer	Sonbhadra
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
73	1-Chief Development Officer	Sultanpur
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	
74	1-Chief Development Officer	Unnao
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	

1	2	3
		(District)–
75	1-Chief Development Officer	Varanasi
	2-Additional District Magistrate (Administration)	
	3- Sub-Divisional Magistrate	

By Order,
Veena Kumari,
Pramukh Sachiv.

महिला कल्याण विभाग

अनुभाग-3

नियुक्ति

06 अगस्त, 2024 ई०

सं० 843/60-3-2024-दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 28, सन् 1961) की धारा 8-ख की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-3455/छब्बीस-2-88/11 (एम) 85 दिनांक 06 दिसम्बर, 1989 के क्रम में उ०प्र० में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट को “दहेज प्रतिषेध अधिकारी” की नियुक्ति अधिसूचना संख्या-835/60-3-2024-3(65)/97, दिनांक 05 अगस्त, 2024 निर्गत की गयी है।

2- कृपया उक्त अधिसूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आज्ञा से,
सुधा वर्मा,
विशेष सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 03 जनवरी, 2026 ई० (पौष 13, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

बहराइच के जिलाधिकारी की आज्ञायें

05 जनवरी, 2024 ई०

सं० 484/बारह-ए/भू०व्य०(पुर्नग्रहण)/2023-24-अधिसूचना संख्या 258/रा०-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, मोनिका रानी, जिलाधिकारी बहराइच निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ, तथा उपजिलाधिकारी नानपारा बहराइच द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 14 जुलाई, 2023 के आधार पर अनुसूची के अनुसार उल्लिखित भूमि शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार क्षेत्राधिकारी कार्यालय के निर्माण हेतु पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ के निर्वतन पर रखती हूँ—

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा/ गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
बहराइच	नानपारा	नानपारा	नानपारा देहाती	5181मि0	हेक्टेयर 0.046	श्रेणी-5-3ख बाग	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के निर्माण हेतु

मोनिका रानी,
जिलाधिकारी, बहराइच।

मेरठ के जिलाधिकारी की आज्ञा

15 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 141/सात-डी0एल0आर0सी0/पुर्न0/2023-शासनादेश संख्या-744/एक-1/2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा 740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी प्रयोक्तव्य शक्तियों को उपयोग करते हुए, मैं, दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा उप जिलाधिकारी मेरठ द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के क्रम में एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के थाने एवं बल के आवासों की स्थापना हेतु गृह विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ के निवर्तन पर रखता हूँ—

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
मेरठ	मेरठ	सरावा	खरखौदा	1066क	1.2140 में से 0.3000 हेक्टेयर 3000 वर्ग मीटर	बंजर	गृह विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निवर्तन पर रखते हुए एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के थाने एवं बल के आवासों की स्थापना हेतु

दीपक मीणा,
जिलाधिकारी, मेरठ।

कार्यालय, जिलाधिकारी हाथरस

विज्ञप्ति

06 फरवरी, 2024 ई0

सं0 1352/सी0आर0ए0-उप जिलाधिकारी सिकन्दराराऊ द्वारा पत्र संख्या-1224/वा0वा0न0 दिनांक 30 जनवरी, 2024 से प्रस्तुत आख्या के कम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील सिकन्दराराऊ में कार्यरत संग्रह अमीन श्री रामअवतार को दिनांक 12 जनवरी, 2024 को निर्गत विविध देय की रसीद बही वसूली के दौरान गुम हो गई है। तत्कम में तहसीलदार सिकन्दराराऊ द्वारा कार्यालय-पत्र संख्या 1222/वा0वा0न0 दिनांक 27 जनवरी, 2024 से इस गुम रसीद बही की सूचना प्रभारी निरीक्षक, सिकन्दराराऊ को दी गई है। गुम रसीद बही का विवरण निम्नवत है—

नाम संग्रह अमीन	रसीद बही का प्रकार व संख्या	रसीद बही में उपलब्ध प्रतिपर्ण की संख्या			
		प्रयोगशुदा		बिना प्रयोगशुदा	
		संख्या से	संख्या तक	संख्या से	संख्या तक
1	2	3	4	5	6
श्री रामअवतार	विविध देय 67701-67800 (कुल 100 रसीद)	—	—	67701 से	67800

इस रसीद बही के बिना प्रयोगशुदा प्रतिपर्णों का प्रयोग अनाधिकृत व अवैधानिक किया जाता है और इस रसीद बही के दुरुपयोग कर हुये किसी भुगतान को राजस्व विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि यह रसीद बही किसी व्यक्ति को मिले, तो इसकी सूचना अविलम्ब इस कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये।

अर्चना वर्मा,

जिलाधिकारी, हाथरस।

कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहाँपुर

29 जून, 2024 ई0

सं0 376/डी0एल0आर0सी0-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-6/2023-16(1)/एक-1-2023-रा-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 के प्रस्तर-1 में निहित निर्देशों के अनुक्रम में द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, उमेश प्रताप सिंह, जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर निम्न अनुसूची में

उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद शाहजहाँपुर की तहसील पुवायों के ग्राम-बढ़ेला, परगना-बड़ागांव में निम्नलिखित भूमि को उत्तर प्रदेश, शासन के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को 01 रुपया प्रति एकड़ प्रतिवर्ष साकेतिक मूल्य/किराया पर 30 वर्ष के लिये पट्टे पर को हस्तान्तरित करता हूँ। पुनर्ग्रहित भूमि का वार्षिक किराया निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा—

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शाहजहाँपुर	पुवायों	बड़ागांव	बढ़ेला	158	4.905	श्रेणी 5-1 नवीन परती	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ०प्र० शासन 30 वर्ष के लीज पर

उमेश प्रताप सिंह,
जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर

आगरा के जिलाधिकारी की आज्ञा

07 सितम्बर, 2024 ई०

सं० 518/डी०एल०आर०सी०—उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-08 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, भानू चन्द्र गोस्वामी, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के उक्त भूमि “राजकीय यूनानी चिकित्सालय” की स्थापना हेतु, उत्तर प्रदेश, शासन के आयुष विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) के निर्वतन पर रखते हुए जिला क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, आगरा को निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

1— पुनर्ग्रहीत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर भूमि राजस्व विभाग को वापस की जायेगी तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2— यदि 05 वर्ष की अवधि में उक्त भूमि पर “राजकीय यूनानी चिकित्सालय” का निर्माण नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा—

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	धिमिश्री	1049	0.0460	बंजर	राजकीय यूनानी चिकित्सालय
					1050	0.920	में व्यायामशाला	की स्थापना हेतु आयुष विभाग,
						से 0.0460		उत्तर प्रदेश के पक्ष में
योग. .					0.0920			

भानु चन्द्र गोस्वामी,
जिलाधिकारी, आगरा।

कार्यालय, आयुक्त झांसी मण्डल, झांसी

आकार-पत्र-1

27 अप्रैल, 2024 ई0

सं0 505/12ए-एल0आर0ए0-23(2023-24)-जिलाधिकारी, झाँसी के पत्र संख्या-156/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2023-24 दिनांक 23 अप्रैल, 2024 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मै बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ-

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	झांसी	झांसी	झांसी	बाजना	38	0.028	श्रेणी-5(3)ड	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					40	0.020	बंजर	विकास प्राधिकरण
					96	0.239		(बीड़ा) विकसित करने
					109	0.202		हेतु (निःशुल्क)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	बाजना	112	0.150	श्रेणी-5(3)ड़	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					146	0.154	बंजर	विकास प्राधिकरण
					148	0.142		(बीड़ा) विकसित करने
					153	0.012		हेतु (निःशुल्क)
					154	0.502		
					156	0.077		
					187	0.142		
					234	0.129		
					236	0.247		
					237	0.255		
					315	0.405		
					391	0.045		
					393	0.380		
					397	0.130		
					404	0.450		
					406	0.097		
					431	0.121		
					432	0.231		
					433	1.226		
					435	0.809		
					451	0.097		
					458	0.101		
					465	0.158		
					467	0.182		
					480	0.065		
					484	0.700		
					485	0.146		
					486	0.016		
					487	0.117		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
	झांसी	झांसी	झांसी	बाजना	489	0.427	श्रेणी-5(3)ड़	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					512	0.186	बंजर	विकास प्राधिकरण
					513	0.049		(बीड़ा) विकसित करने
					516	1.153		हेतु (निःशुल्क)
					517	0.061		
					521	0.016		
					523	1.027		
					532	1.674		
					538	1.027		
					539	0.081		
					561	1.007		
					569	0.930		
					570	0.858		
					571	0.741		
					572	0.312		
					573	0.384		
					574	0.486		
					575	0.158		
					576	0.307		
					579	0.182		
					601	0.117		
					602	0.1117		
					603	0.312		
					604	0.101		
					605	0.182		
					606	0.036		
					607	0.445		
					608	0.976		
					610	0.727		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
	झांसी	झांसी	झांसी	बाजना	611	1.000	श्रेणी-5(3)ड़	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					613	0.672	बंजर	विकास प्राधिकरण
					614	0.158		(बीड़ा) विकसित करने
					618	0.061		हेतु (निःशुल्क)
					633	0.113		
					637	0.049		
					664	0.061		
					670	0.069		
					671	0.174		
					680	0.320		
					684	5.621		
					690	0.049		
					705	0.308		
					706	0.376		
					708	0.045		
					709	0.206		
					714	0.356 मे से		
						0.093		
					715	0.093		
					716	1.117 में से		
						0.466		
					717	0.466		
					718	0.024		
					720	0.113		
					721	0.032		
					741	0.376		
					742	0.336		
					743	0.150		
					753	0.571		
					781	0.535		
					782	0.105		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टियर		
	झांसी	झांसी	झांसी	बाजना	783	0.227	श्रेणी-5(3)ड़	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					785	0.138	बंजर	विकास प्राधिकरण
					787	0.049		(बीड़ा) विकसित करने
					795	0.045		हेतु (निःशुल्क)
					890	0.077		
					895	0.163		
					945	0.223		
					948	0.088		
					953	1.044		
					966	0.239		
					970	0.117		
					978	0.040		
					983	0.251		
					987	0.291		
					1002	0.963		
					1004	2.892		
					1012	0.320		
					1039	0.255		
					1041	0.134		
					1043	1.369		
					1065	0.971		
					1068	0.121		
					1069	0.263		
					1070	0.223		
					1079	0.032		
					1089	0.130		
					1090	0.081		
					1108	1.773		
					1115	0.328		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
	झांसी	झांसी	झांसी	बाजना	1122	0.109	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					1127	0.255		
					1130	0.539		
					1132	0.028		
					1133	0.134		
					1134	0.081		
					1160	0.028		
					1175	0.117		
					1178	0.089		
					1003 मि0	0.178		
					1184 / 2	1.558		
					188मि0	0.075		
					577 / 2	0.570		
					986मि0	0.658		
					1189	0.065		
					713	0.769		
					946	0.088		
					1013	0.328		
					1071	0.036		
					1249	0.109		
					योग.	53.157		

बिमल कुमार दुबे,
आयुक्त,
झाँसी मण्डल, झाँसी।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग

प्रारूप-19

नियम-27 का उपनियम (1)

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा
(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

उत्तर प्रदेश सरकार

अधिसूचना

19 नवम्बर, 2025

सं0 886/आठ-वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद/2025-उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा नहर
निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर

परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद सम्भल तहसील सम्भल परगना सम्भल ग्राम नेकपुर मुख्तयारपुर में कुल 0.9404 हे० भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 258 दिनांक 23 जून, 2025 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 19 जुलाई, 2025 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर.....को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जनपद सम्भल तहसील सम्भल परगना सम्भल ग्राम नेकपुर मुख्तयारपुर में कुल 0.9404 हे० भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु.....कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं०	प्रस्तावित चक संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
सम्भल	सम्भल	सम्भल	नेकपुर मुख्तयारपुर	1/3 व 1/4	308	0.0402
				9/1 व 15	366	0.0598
				15	368	0.0358
				203/1	82	0.1150
				210/2	324	0.0381
				45	305	0.0100
					292	0.0525
					325	0.0400
				84	300	0.0420
					277	0.0100
					364	0.0250
					316	0.0250
					346	0.0225
					347	0.0060
					326	0.0220
					298	0.0160

1	2	3	4	5	6	7
सम्भल	सम्भल	सम्भल	नेकपुर मुख्तयारपुर	174	53	0.0580
				175 व 174	102	0.0430
				182 व 190	102	0.0975
				189	108 व 245	0.1820
योग..						0.9404

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं०	पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6

-----विस्थापित परिवारों की संख्या "शून्य"-----

टिप्पणी:- उक्त भूमि का स्थल नक्शा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि०अभि० मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर.....(अपेक्षित निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण)...परियोजना हेतु जिला सम्भल तहसील सम्भल परगना सम्भल ग्राम नेकपुर मुख्तयारपुर में स्थित 0.9404 हे० भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या..... दिनांक.....के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है-

.....

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
ह० (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
सम्भल।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
IRRIGATION DEPARTMENT
FORM-19

[Sub-Rule (1) of Rule 27]

Declaration by Appropriate Government/Collector

[Under Sub-Section (1) of Section-19 of the Act]

NOTIFICATION

November, 19, 2025

No. 886/VIII-S.L.A.O./Moradabad/2025—Whereas Preliminary Notification No. 258 dated 23-06-2025 was issued under Sub-Section (1) of section II of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.9404 hectares of land in village Nekpur Mukhtiyarpur, Pargana Sambhal, Tehsil Sambhal, District Sambhal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body and lately published on dated 19 July, 2025 The Deputy Collector.....was appointed is Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of this project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under Sub-Section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under Section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule “A” is needed for public purpose and the land to the extent of 0.9404 hectares in village Nekpur Mukhtiyarpur, Pargana Sambhal, Tehsil Sambhal, District Sambhal as given in schedule “B” has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Government is further pleased under Sub-Section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of.....to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect, The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached here with.

SCHEDULE-A

(Land Under Proposed Acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Prastavit Chak No.	Area (In Hect.)
1	2	3	4	5	6	7
Sambhal	Sambhal	Sambhal	Nekpur Mukhtiyarpur	1/3 व 1/4	308	0.0402
				9/1 व 15	366	0.0598
				15	368	0.0358
				203/1	82	0.1150
				210/2	324	0.0381

1	2	3	4	5	6	7
Sambhal	Sambhal	Sambhal	Nekpur	45	305	0.0100
			Mukhtiyarpur		292	0.0525
					325	0.0400
				84	300	0.0420
					277	0.0100
					364	0.0250
					316	0.0250
					346	0.0225
					347	0.0060
					326	0.0220
					298	0.0160
				174	53	0.0580
				175 व 174	102	0.0430
				182 व 190	102	0.0975
				189	108 व 245	0.1820
Total						0.9404

SCCHEDULE-B

(Land Identified As Settlement Area For Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Prastavit Chak No.	Area (In Hect.)
1	2	3	4	5	6	7

----- Zero -----

NOTE: A Plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

Notification Of Declaration By Collector

[Under Sub-Section (2) Of Section 19 Of The/Act]

U.P Irrigation Department, Executive Engineer MGCCD-10, Bulandshahr By the order of declaration made under Government Notification No.....dated.....for 0.9564 hectares of land in village Nekpur Mukhtiyarpur, Pargana Sambhal, Tehsil Sambhal, District Sambhal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body). I hereby published the declaration made therein and summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with Government Notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is given below:

.....

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of land Acquisition.

By order

(Sd.) Illigible,

Collector, Sambhal.

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

उत्तर प्रदेश सरकार

अधिसूचना

10 दिसम्बर, 2025

सं0 55/आठ-वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद/2025-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0 अभि0 मध्य गंगा नहर गुण नियंत्रण खण्ड-2 हरिद्वार (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद सम्भल, तहसील व परगना सम्भल, ग्राम ततारपुर रोड में कुल 0.3200 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2-राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा..... दिनांक.....को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है—रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रस्ताव सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है।

.....

4—भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है—

.....

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर.....को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजना हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
सम्भल	सम्भल	सम्भल	ततारपुर	87	0.0700
				89	0.0700
				90	0.055
				91	0.025
				93	0.1000
योग—					0.3200

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएं करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के(दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा 11-(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
 ह० (अस्पष्ट),
 जिलाधिकारी, सम्भल।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH
FORM-18

[Sub-Rule (2) of Rule 20]

[Under Sub-Section (1) of Section-11 of the Act]

NOTIFICATION

December, 10, 2025

No. 55/VIII-S.L.A.O./Moradabad/2025—Under Sub-Section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0.3200 Hectares of land is required in the Village Tatarpur Road, Pergana and Tehsil Sambhal, District Sambhal is required of public purpose, namely, project, MADHYA GANGA CANAL PHASE 2nd through IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH, THROUGH EXECUTIVE ENGINEER MADYA GANGA CANAL CONTRUCTION DIVISION-2, HARIDWAR (name of requirement body).

2. Social Impact assessment study was carried out by the State Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated

3. The Summary of the Social Impact Assessment report as follow :

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT IS NOT APPLICABLE.

4. A Total of Zero families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under :

Deputy Collector/Assistant Collector is appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired (In Hect.)
1	2	3	4	5	6
Sambhal	Sambhal	Sambhal	Tatarpur Road	87	0.0700
				89	0.0700
				90	0.0550
				91	0.0250
				93	0.1000
Total :					0.3200

6. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act any person interested in the land may within 60 days after the publication of the Notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under Section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE: A Plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

By order
(Sd.) ILLEGIBLE,
Collector, Sambhal.

राजस्व विभाग

प्रारूप-18

[नियम-20 का उपनियम (2)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

[अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

19 नवम्बर, 2025 ई०

सं० 53/अ०जि०भू०अ०/आगरा-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लो०नि०वि० सेतु निर्माण, संभाग ग्वालियर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन "अम्बाह-पिनाहट मार्ग में चम्बल नदी पर पुल निर्माण" हेतु जनपद-आगरा, तहसील-बांह, परगना-बांह, ग्राम-पिनाहट, में कुल 1.28579 हे० भूमि की आवश्यकता है।

2- अपर जिलाधिकारी (नगर) आगरा द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2025 को अनुमोदित किया गया है।

3- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है-

(1) अम्बाह-पिनाहट मार्ग में चम्बल नदी पर पुल निर्माण हेतु।

(2) इस परियोजना के निर्माण से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4- भूमि अर्जन के कारण कुल (कोई नहीं) परिवार के विस्थापित होने की संभावना है एक विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है :

— शून्य —

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी (नगर) आगरा को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5- अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

क्रम सं०	खाता संख्या	भूखण्ड सं०/ गाटा सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल	अभियुक्ति, यदि कोई
1	2	3	4	5
			(हेक्टेयर में)	
1	00516	2971	0.0679	
	00665	2972 क	0.01580	
	01348	2972 मि०	0.01978	
	00178	2972 मि०	0.00872	
2	01496	2972 मि०	0.00632	
	00578	2972 / 3 मि०	0.00130	
	01494	2972 / 1 मि०	0.00261	
	00417	2972 / 2 मि०	0.00267	
	00416	2972 मि०	0.00789	
3	01360	2973 मि०	0.2350	
	00178	2973 मि०	0.3227	
4	00394	2974 मि०	0.1110	
	01517	2974	0.0200	
	00454	2974 मि०	0.0383	
	00454	2974 मि०	0.0655	
	00454	2978 क	0.0165	
5	00810	2978 मि०	0.2184	
	00782	2978 क	0.0054	
	01615	2978 मि०	0.0484	
6	00057	2979	0.0716	
योग .			1.28579	

6— अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7— अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के (60 दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8— अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थल नक्शा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
राज्य सरकार/कलेक्टर,
आगरा।

REVENUE DEPARTMENT

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under sub-section (1) of section 11 of the Act]

NOTIFICATION

November 19, 2025

No. 53/A.D.M(L.A.)/Agra—Under sub-section (1) of section 11 of the Right Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government Of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 1.28579 hectares of land is required in the Village Pinahat, Pargana Bah, Tehsil Bah, district Agra is required for public purpose, namely, project Construction of High Level Bridge across Chambal Bridge on Ambha-Pinahat road, Through PWD Bridge Construction Division Gwalior (name of requiring body.)

2- Social Impact Assessment study was carried out by the A.D.M (City) Agra Nodal Officer of Social Impact Assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated 13 February, 2025

3- The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

(1) Land is required for public purpose, namely, project Construction of High Level Bridge across Chambal Bridge on Ambha-Pinahat road,

(3) There is no any other Any Effect Construction on of this Project

4- A total of No one families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under:-

NIL

Deputy Collector/Assistant Collector/A.D.M (City) Agra Nodal officer is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5- There fore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

[illegible]

6- The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub-soil into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7- Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within (days) (60) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8- Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the collector.

NOTE-A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

By Order,
State Government/Collector,
Agra.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 03 जनवरी, 2026 ई० (पौष 13, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद

23 नवम्बर, 2025 ई०

सं० 948-कर विभाग/श्वान अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन-उपविधि/2025-26—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं०-02 वर्ष 1916) की धारा 298 द्वारा प्रदत्त अधिकार अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद द्वारा नगर पालिका सीमा सुरक्षा या शौक के उद्देश्य से पाले जाने वाले श्वान अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन हेतु नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद, श्वान के अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन उपविधि बनाई जाती हैं जिसका अन्तिम प्रकाशन, किया जा रहा है इस उपविधि को समाचार पत्रों में प्रकाशन (अन्तिम प्रकाशन दैनिक जागरण दिनांक 15 अप्रैल, 2025 व अमर उजाला में दिनांक 16 अप्रैल, 2025) उपरान्त कोई भी दावा/आपत्ति/सुझाव किसी व्यक्ति, संस्था द्वारा नहीं दिया गया जिसके उपरान्त इसी आशय का समाचार पत्रों में दिनांक 28 सितम्बर, 2025 को अमर उजाला/दैनिक जागरण में प्रकाशन कराया गया। उक्त उपविधि राजकीय प्रेस से प्रकाशन उपरान्त प्रकाशन तिथि से लागू होगी।

1— संक्षिप्त नाम, विस्तार, और प्रारम्भ—

(क)— यह नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद श्वान अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन उपविधि 2025 कही जायेगी।

(ख)– यह उपविधि गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रमावी होगी।

(ग)– यह नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद की सीमा के अन्दर व्यक्तिगत सुरक्षा व्यवस्था या शौक हेतु रखे गए श्वान के स्वामी पर लागू होगी।

(घ)– इस निमित्त बनाई गयी या जारी की गयी उपविधि या निर्देश जो इस उपविधि के प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त रहीं हो, इस उपविधि के लागू होते ही स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगी।

2– परिभाषाएं–

(क)– अधिनियम का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

(ख)– नगर पालिका का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद से है।

(ग)– बोर्ड/अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद के बोर्ड/अध्यक्ष से है।

(घ)– अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद के अधिशासी अधिकारी से है।

(ङ)– श्वान से तात्पर्य ऐसे श्वान से है जिसको नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद सीमा में सुरक्षा व्यवस्था या शौक के उद्देश्य से पाला जाये।

(च)– निरीक्षण अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी/कर्मचारी से है।

(छ)– अनुज्ञापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी श्वान का स्वामी हो और जिसने इस उपविधि के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद की सीमा में सुरक्षा व्यवस्था अथवा शौक के लिए श्वान को पाले जाने हेतु नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद के अधिशासी अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर ली है।

(ज)– अनुज्ञा का तात्पर्य इस उपविधि के अधीन प्रदत्त श्वान अनुज्ञा से है।

(झ)– ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु उपविधि में प्रयुक्त हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

प्रतिषेध– कोई भी व्यक्ति नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद की सीमा में किसी भी भवन अथवा स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था अथवा शौक के लिये किसी भी श्वान को नहीं पालेगा जब तक सुरक्षा व्यवस्था अथवा शौक के लिये पाले गये श्वान के स्वामी द्वारा इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा न प्राप्त कर ली गयी हो।

3– अनुज्ञा और उसकी अवधि–

(क)– प्रत्येक दृष्टि से संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधिशासी अधिकारी द्वारा उपविधि के अधीन आवेदक द्वारा नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद की सीमा में सुरक्षा अथवा शौक के उद्देश्य से श्वान को रखने/पालने हेतु एक वर्ष के लिये इस उपबन्ध पर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी कि अनुज्ञा की शर्तों के उल्लंघन पर किसी भी समय लाइसेंस निलम्बित या निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख)– ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो श्वान का स्वामी हो, अपने स्वामी होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर श्वान स्वामी होने के सम्बन्ध में अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करेगा जिसमें श्वान का लिंग, रंग, प्रजाति, टीकाकरण सम्बन्धित समस्त सूचना अंकित करेगा।

(ग)– कोई भी श्वान स्वामी अपने श्वान को किसी सार्वजनिक स्थान यथा–गली/सड़क, पार्क या सड़क के आस पास खुला नहीं छोड़ेगा।

(घ)– कोई भी श्वान स्वामी अपने श्वान को इस प्रकार से रखेगा या बाँधेगा कि उसके पड़ोसी या किसी अन्य व्यक्ति को श्वान से कोई आपत्ति न हो और अपने घर के बाहर श्वान पालने के सम्बन्ध में कुत्तों से सावधान का नोटिस बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

(ङ)– पालतू श्वान के विरुद्ध किसी प्रकार की क्रूरता नहीं होनी चाहिए।

(च)– प्रत्येक श्वान स्वामी अपने श्वान के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करेगा तथा तत्पश्चात् यथा उपबन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त अनुज्ञा वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त करेगा।

(छ)— जहाँ ऐसा कोई श्वान जिसके सम्बन्ध में श्वान स्वामी अनुज्ञा शुल्क का नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद को भगुतान का दायी होगा, बेच दिया जाये या अन्य किसी व्यक्ति या स्थान को स्थानांतरित कर दिया जाये तो श्वान स्वामी लाइसेंस प्राधिकारी को इस तथ्य की सूचना 15 दिन के अन्दर लिखित रूप से प्रस्तुत करेगा।

4— निरीक्षण का अधिकार एवं लाइसेंस प्राधिकारी— अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी/कर्मचारी कैनल, श्वान गृह तथा श्वान के रख रखाव की उचित देखभाल आदि का निरीक्षण कर सकता है, श्वान स्वामी को इस निमित्त अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।

5— श्वान के रहने का स्थान एवं स्वास्थ्य प्रबन्धन—

(क)— श्वान स्वामी, अपने श्वान को स्वच्छ, हवादार एवं मौसम के अनुरूप उचित स्थान पर रखेगा, श्वान गृह नित्य कीटनाशक से साफ किया जायेगा, श्वान का नियमित टीकाकरण कराना होगा तथा श्वान के निवास, स्लीपिंग स्पेस की निम्नवत् व्यवस्था करना श्वान स्वामी के लिए आवश्यक होगा।

क्रम सं०	श्वान का आकार	निर्धारित श्वान गृह
1	2	3
वर्गफुट में		
1	छोटे श्वान-विदेशी नस्ल	न्यूनतम 10 वर्गफुट प्रति श्वान
2	बड़ी नस्ल के श्वान हेतु	न्यूनतम 20 वर्गफुट प्रति श्वान

(ख)— श्वान के बीमार, संक्रमण ग्रस्त या पागल होने की स्थिति में स्वामी का दायित्व होगा कि वह श्वान का इलाज कराये एवं मगर होने पर लोक सुरक्षा की दृष्टि से श्वान को आमजन मानस से दूर रखे।

6— वार्षिक शुल्क—

(क)— अनुज्ञा शुल्क श्वान स्वामी द्वारा श्वान के रखने हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क प्रतिवर्ष अप्रैल माह में अग्रिम रूप से देय होगा।

क्रम सं०	श्वान का आकार	निर्धारित श्वान गृह (वर्गफुट में)
1	2	3
रुपये		
1	छोटे श्वान -विदेशी नस्ल	200 प्रति श्वान
2	बड़े नस्ल के श्वान विदेशी नस्ल	500 प्रति श्वान
3	भारतीय नस्ल के श्वान	200 प्रति श्वान

(ख)— प्रत्येक अनुज्ञा के साथ लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा एक मेटल का टोकन (प्रतीक चिन्ह, जिसका मूल्य श्वान स्वामी द्वारा अनुज्ञा शुल्क के साथ जमा करना आवश्यक होगा) श्वान स्वामी को प्रदान किया जायेगा जिसे श्वान की गर्दन में मजबूत चमड़े या अन्य किसी पट्टे के साथ बाँधा जाना आवश्यक होगा जिससे निरीक्षण अधिकारी/कर्मचारी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके।

(ड)— अनुज्ञा का नवीनीकरण अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद/लाइसेंस प्राधिकारी के पूर्णतः संतुष्ट हो जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(च)– अनुज्ञा नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र अप्रैल के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक दशा में प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद के कोष में नवीनीकरण हेतु शुल्क जमा कर दिये जाने की रसीद संलग्न की जायेगी।

(छ)– यदि ऐसा आवेदन पत्र अप्रैल माह के बाद किया जाता है तो उस स्थिति में नगर पालिका अधिनियम 1916 की अनुसूची में निर्धारित विलम्ब शुल्क रुपया 500.00 जमा करना आवश्यक होगा।

(ज)– यदि ऐसा आवेदन पत्र मई माह के बाद प्रस्तुत किया जाता है तो उस स्थिति में अनुज्ञा शुल्क, विलम्ब शुल्क के साथ अनुसूची में निर्धारित प्रतिदिन की दर से जुर्माना जमा करने के उपरान्त ही अनुज्ञा का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

7– अनुज्ञा का निलम्बन निरस्तीकरण–

(क)– यदि किसी अनुज्ञाधारक द्वारा किसी भी समय लाइसेंस की शर्तों अथवा अभिलिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या करता है जो कि सत्यापित हो जाता है तो उस स्थिति में अनुज्ञाधारक को बचाव का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात अपराध सिद्धि की दशा में अनुज्ञा निलम्बित/निरस्त कर दी जायेगी।

(ख)– **निषेध**– अनुज्ञा निलम्बित अथवा निरस्त हो जाने के उपरान्त उक्त अनुज्ञा के अधीन नगर पालिका की सीमा में सुरक्षा व्यवस्था अथवा शौक के उद्देश्य से श्वान रखा पाये जाने की दशा में 1,000.00 रु0 प्रति श्वान दण्ड वसूल किया जायेगा।

(ग)– स्वान स्वामी अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में प्रथम अपील, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रशमन निर्धारित दरों से जमा करने के उपरान्त ही अधिशासी अधिकारी/सक्षम अधिकारी के समक्ष कर सकेगा।

(घ)– लाइसेंस प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध वाद उत्पन्न होने की दशा में नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद के आदेशों के दिनोंक से 30 दिन के अन्दर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी तथा अधिशासी अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अध्यक्ष के समक्ष अगले 30 दिन के अन्दर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी जिसपर पालिका अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

(ङ)– नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 के अंतर्गत शक्ति प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद एतद्वारा यह निर्देश देती है इस उपविधि में दिये गये किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करने की दशा में जुर्माना जो कि रु0 1,000.00 तक हो सकता है और निरन्तर उल्लंघन की दशा में, प्रथम अपराध सिद्धि के पश्चात यह सिद्ध हो जाये कि अपराध निरन्तर जारी रखा गया है तो जुर्माना रु0 25.00 प्रतिदिन दण्डनीय होगा।

विनोद कुमार,
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
फर्रुखाबाद।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद

23 नवम्बर, 2025 ई0

सं0 948/ओ0एस0/2025-26–उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 की सूची 1 (ज) की उपधारा “ख” एवं “ग” के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए “लोक सुरक्षा और सुविधा” के दृष्टिगत यातायात के विनियमन एवं पालिका के राजस्व वृद्धि हेतु नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद सीमान्तर्गत “बस/ट्रक/टैक्सी/अन्य वाहनों हेतु पार्किंग शुल्क उपविधि-2025” बनाये जाने हेतु, उक्त अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत आम नागरिकों से सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु दैनिक समाचार-पत्र दैनिक हिन्दुस्तान व समृद्धि न्यूज पत्रों में इस आशय से प्रकाशित किया था, कि यदि किसी व्यक्ति/संस्था को उक्त उपविधि में वर्णित उपबन्धों के सम्बन्ध में 30 दिन के अंदर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर मात्र एक आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुआ जिसका नियमानुसार परीक्षण करते हुये निस्तारण किया गया तत्पश्चात् इस उपविधि का अन्तिम प्रकाशन किया जा रहा है जो प्रकाशन की तिथि से नगर सीमा क्षेत्र से लागू होगा।

“बस/ट्रक/टैक्सी/अन्य वाहनों हेतु पार्किंग शुल्क उपविधि-2025”

(क)— **संक्षिप्त नाम**— यह उपविधि नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद के बस/ट्रक/टैक्सी/अन्य वाहनों हेतु पार्किंग शुल्क उपविधि 2025 कहलायी जायेगी।

(ख)— **प्रसार/विस्तार**— इस उपविधि का प्रसार/विस्तार नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद की वर्तमान सीमा तथा आगामी वर्षों में होने वाली नगर पालिका सीमा वृद्धि से होगा अर्थात् उ0प्र0 सरकार/शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद की सीमा से है।

(ग)— परिभाषाएँ—

(1)— नगर पालिका परिषद, का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद से है।

(2)— अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(3)— प्रशासक का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद के प्रशासक से है।

(4)— अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद के अधिशासी अधिकारी से है।

(5)— नगर पालिका अधिनियम, 1916 का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 तथा उसमें समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम से है।

(6)— कर्मचारी का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद में नियुक्त/संविदा/आउटसोर्सिंग रूप से नियुक्त/कार्यरत कर्मचारी से है।

(7)— ठेकेदार का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद द्वारा इस उपविधि के अन्तर्गत पार्किंग शुल्क वसूल किये जाने वाले अधिकृत ठेकेदार से है।

(8)— सरकार/शासन से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार/शासन से है।

(घ)— **प्रभाव**— यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होगी।

नियम-1— नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद सीमान्तर्गत कोई भी वाहन (शासकीय वाहनों अथवा निजी प्रयोग हेतु सवारी वाहनो कों छोड़कर) जो सवारी चढायेगा/उतारेगा उसे नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद द्वारा निर्धारित दर पर पार्किंग शुल्क का भुगतान देकर रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2— ऊपर वर्णित कोई भी सवारी वाहन नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद द्वारा निर्धारित स्टैण्ड स्थल/स्थान पर ही खड़ा कर सवारी भरेगा या उतारेगा। निर्धारित स्टैण्ड स्थल/स्थान का विवरण निम्न हैं—

क्रम सं०	स्टैण्ड स्थल/स्थान
1	2
1	लाल सराय पार्किंग स्टैण्ड व भविष्य में निर्मित होने वाली सरकारी पार्किंग भी अच्छादित होगा।
2	अन्य ऐसे स्टैण्ड जिनकी स्वीकृति सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर नियम/शर्तों के अधीन यदि किसी व्यक्ति/संस्था के द्वारा नीजि तौर पर संचालन किया जाता है। जिसके सम्बन्ध में अनिवार्य होगा कि संचालक के पास भूमि का स्वामित्व हो।

3— नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद सीमान्तर्गत किसी व्यक्ति/समूह द्वारा किराये पर चलने वाले सवारी गाड़ियों के लिए कोई अलग से स्थल बिना अनुमति के नहीं संचालित करेगा, और न ही किसी भी तरह के रास्ते व सड़क पर पार्किंग स्थापित करेगा।

4— पार्किंग शुल्क अदा करके रसीद लेने का दायित्व सम्बन्धित वाहन चालक/परिचालक/वाहन स्वामी का होगा।

5— नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद के अधिशासी अधिकारी तथा जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के जांच के समय वाहन के चालक/परिचालक/मालिक द्वारा रसीद प्रस्तुत की जायेगी। उचित रसीद न प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल बीस गुना अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

6— यदि पार्किंग शुल्क की वसूली ठेके पर है, तो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा जाँच के समक्ष ठेकेदार/अधिकृत कर्मचारी द्वारा रसीदों की जांच करानी होगी।

7— नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद के कर्मचारियों द्वारा वसूली की स्थिति में कार्यालय द्वारा जारी रसीदों पर ही वसूली करनी होगी, एवं प्रतिदिन की वसूली कार्यालय में जमा करनी होगी।

8— नगर पालिका द्वारा निर्धारित स्टैण्ड/पार्किंग स्थल पर पेयजल, सफाई, प्रकाश एवं अन्य यात्री सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी किन्तु किसी समय आंशिक असुविधा के कारण वसूली प्रभावित नहीं होगी।

9— नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद द्वारा निदिद्व क्षेत्र (नो इण्ट्री) घोषित किये जाने वाले स्थानों पर निर्धारित समय/क्षेत्र में किसी वाहन का प्रयोग पूर्णतयः वर्जित होगा।

10— अभियोजित सवारी गाड़ियों के ऊपर अभियोग चलाने/चलान करने का अधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद का होगा।

11— वसूली/दरों में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में उपविधि के अधीन अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

12— सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को अपने वसूलीकर्ताओं की निर्धारित वर्दी पहचान-पत्र के साथ ही स्टैण्ड/पार्किंग शुल्क कराना अनिवार्य होगा।

13— यदि नगर क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति/फर्म द्वारा शासन/जिला प्रशासन व सम्बन्धित विभाग से अनुमति प्राप्त कर निजी तौर पर पार्किंग नियमानुसार अधिष्ठापित/संचालित करता है तो नगर पालिका द्वारा नियमानुसार अनापत्ति जारी की जा सकेगी। जिसके लिए नियमानुसार जनहित में सशर्त अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।

14— टैक्सी स्टैण्ड स्थलों का निर्धारित स्टैण्ड/पार्किंग शुल्क का सूची निर्धारित बोर्ड पर लिखवाना अनिवार्य होगा।

बस/ट्रक/ट्रैक्सी/अन्य वाहनों हेतु पार्किंग शुल्क की सूची निम्नवत् है—

क्रम सं०	वाहनों के प्रकार	दर
1	2	3
		रुपये—
1	प्राइवेट बस/ट्रक (प्रति तीन घण्टा)	100.00
2	मिनी बस/मिनी ट्रक/डी0सी0एम0 (प्रति तीन घण्टा)	75.00
3	जीप/टैक्सी/पिकअप/ट्रैक्टर ट्राली व्यवसायिक प्रयोग वाले (प्रति तीन घण्टा)	50.00
4	टैम्पो/ई-रिक्शा/टाटा मैजिक (प्रति तीन घण्टा)	40.00
5	कार (एक से आठ घण्टे तक)	100.00
6	मोटरसाईकिल (एक से आठ घण्टे तक)	20.00

नोट— नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद के बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वह उक्त दरों में समय-समय पर वृद्धि कर सकेगी। इस उपविधि के पूर्व के उपविधि यथा संशोधित समझी जायेंगी।

शास्ति

नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद बस/ट्रक/ट्रैक्टरों/अन्य वाहनों हेतु पार्किंग शुल्क उपविधि 2025 के किसी धारा या भाग की अवहेलना/भंग किये जाने पर उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के सुसंगत धारा 200 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डनीय होगा।

विनोद कुमार,
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
फर्रुखाबाद।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, एटा

12 नवम्बर, 2025 ई0

सं0 1852/कर0अनु0/2025-26—प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0-925/नौ-9-25-ई-1853096 नगर विकास अनुभाग-9, लखनऊ दिनांक 09 मई, 2025, को निर्गत अधिसूचना के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) मानक उपविधि, 2025 को लागू करने हेतु नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-147 का प्रयोग करते हुये निर्देश दिये गये हैं जिसके अनुपालन में नगर पालिका परिषद, एटा के सीमान्तर्गत क्षेत्र में स्थित समस्त भवनों/भूमियों के निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन हेतु उक्त उपविधि पर आपत्तियाँ एवं सुझाव इस कार्यालय के पत्रांक सं0-811/कर-अनुभाग/2025-26 दिनांक 15 जुलाई, 2025 नगर पालिका परिषद, एटा द्वारा दैनिक समाचार पत्र-दैनिक जागरण दिनांक 16 जुलाई, 2025 व अमर उजाला में दिनांक 16 जुलाई, 2025 को प्रकाशित कराकर आमजन से 30 दिन के अन्दर आपत्तियाँ एवं सुझाव आमन्त्रित किये गये थे जिस पर आमजन से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी इस उपविधि को बोर्ड बैठक प्रस्ताव सं0-03 दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 के द्वारा लागू किये जाने हेतु सर्वसम्मति से पारित किया गया है। अतः नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298(1), 300(1) व 301 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद, एटा द्वारा (निर्धारण सूची में संशोधन एवं परिवर्तन) उपविधि 2025 अन्तिम रूप से सरकारी गजट में प्रकाशित करायी जा रही है जो प्रकाशन की दिनांक से नगर पालिका परिषद, एटा की सीमान्तर्गत लागू होगी।

नगर पालिका परिषद एटा (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि, 2025

1— संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—

(1) यह उपविधि नगर पालिका परिषद, एटा (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि, 2025 कही जायेगी।

(2) यह नगर पालिका परिषद, एटा में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2— परिभाषाएँ—

(1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में—

(क)— 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख)— 'आबादी' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो राजस्व अभिलेखों में आबादी के रूप में अभिलिखित हो और जिसका उपयोग नगर पालिका परिषद, एटा सीमा में उस क्षेत्र के सम्मिलित होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास और तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो।

(ग) निर्धारण सूची का तात्पर्य अधिनियम, 1916 की धारा-141 के अधीन तैयार की गई कर निर्धारण सूची से है।

(घ) संशोधन और परिवर्तन का तात्पर्य अधिनियम, 1916 की धारा-147 के अधीन कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन से है।

(ङ) 'सम्पत्ति' का तात्पर्य यथास्थिति किसी भवन या भूमि या दोनों से है।

(च) सम्पत्ति कर का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, एटा सीमा में अवस्थित भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाए जाने वाले सामान्य कर/भवन कर/जल कर/जल निस्सारण कर और स्वच्छता कर से है।

(2)– इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हों।

3— निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन का कारण—

(1) अधिनियम, 1916 की धारा-144 के अधीन नगर पालिका परिषद, एटा कार्यालय में जमा प्रमाणीकृत कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1916 की धारा-147 के अधीन उल्लिखित कारणों के प्रोद्भूत होने की स्थिति में किया जायेगा।

(2) ऐसा व्यक्ति जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकृत होने के पश्चात् किसी कारणवश कराधान के लिए दायी हो गया है, उसका नाम सूची में सम्मिलित करके निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जाएगा।

(3) (क)– किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तान्तरण या स्वामित्व सामान्यतया निम्न के आधार पर प्राप्त होगा—

(एक)– पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा।

(दो)– पंजीकृत वसीयत द्वारा।

(तीन)– पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा।

(चार)– पंजीकृत दान-पत्र द्वारा।

(पाँच)– विधिक उत्तराधिकार द्वारा।

(ख) किसी सम्पत्ति के अध्यासी के स्थान पर किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की स्थिति सामान्यतया इस प्रकार हो सकेगी—

(एक)– नगर पालिका परिषद, एटा सीमा में नव सम्मिलित आबादी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति।

(दो)– गैर जमींदारी उन्मूलन (नान जेड0ए0) क्षेत्र की सम्पत्ति।

(तीन)– किसी सम्पत्ति जिनका किराया दिया जाता हो या देय हो।

(चार)– सम्पत्ति का किराया मुक्त किरायेदार और अनुज्ञापी।

(4) (क) सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन वार्षिक मूल्य और कर की दर में वृद्धि/परिवर्तन होने से कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जायेगा।

(ख)– किसी भी समय जब यह स्पष्ट हो जाये कि किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण सम्पत्ति के स्वामी/अध्यासी द्वारा गलत विवरण देने के आधार पर या तथ्यों के छिपाने या भ्रान्त कथन या किसी भूल के कारण किया गया है तो उसमें किए गए सुधार की प्रविष्टि कर तदनुसारकर निर्धारण सूची संशोधित की जायेगी।

(5) भवन में किए गए परिवर्तन और परिवर्धन के फलस्वरूप उसके वार्षिक मूल्यांकन और कर की धनराशि में वृद्धि करके निर्धारण सूची में संशोधन किया जायेगा।

4- सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया-

(1) (क) नियम 3 के अधीन निर्धारण सूची में व्यक्ति या सम्पत्ति का विवरण छूट जाने, नव निर्माण या पुर्ननिर्माण होने पर स्वामी या अध्यासी निर्धारित प्रपत्र के साथ सम्पत्ति का स्वकर निर्धारण कर के सम्पत्ति कर की धनराशि नगरपालिका परिषद, एटा द्वारा यथा निर्दिष्ट बैंक या कार्यालय में जमा कर सकेगा। नगर पालिका परिषद, एटा के अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्वकर निर्धारण प्रपत्र के आधार पर अपेक्षित प्रविष्टियाँ निर्धारण सूची में की जाएँगी।

(ख) अन्यथा स्थिति में सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी विहित प्रपत्र-1 में अपेक्षित सूचना निर्माण या पुर्ननिर्माण के समापन अथवा अध्यासन के दिनांक जो भी पहले हो के 60 दिवसों के भीतर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, एटा को अनिवार्य रूप से देगा। अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी तदुपरान्त नियमानुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण कर उसे तदनुसार कर निर्धारण सूची में प्रविष्टि करेगा।

(2) (क) सम्पत्ति के स्वामित्व या अध्यासन के हस्तान्तरण के फलस्वरूप कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन के निमित्त आवेदक नगर पालिका परिषद, एटा को प्रपत्र-2 में अपना प्रोफाइल बनाकर आवेदन करेगा।

(ख) आवेदक नगर पालिका परिषद, एटा द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क, जो रु0 100.00 प्रति आवेदन होगा, को आनलाइन भुगतान करेगा और यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेखों को उपलब्ध करायेगा-

क्रम सं0	अभिलेखों प्रकार	मृत्यु के आधार पर	विक्रय पत्र, विभाजन विलेख, दानपत्र व अन्य के आधार पर	पंजीकृत वसीयत के आधार पर
1	2	3	4	5
1.	आवेदक की फोटो (जे0पी0जी0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
2.	आवेदक की पहचान का प्रमाण (जे0पी0जी0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
3.	आवेदक का शपथ-पत्र (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
4.	पंजीकृत विक्रय विलेख या दान-पत्र/विभाजन विलेख (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)		✓	
5.	उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓		
6.	मृत्यु प्रमाण-पत्र (जी0आई0एफ0, पी0एन0जी0, जे0पी0जी0, जे0पी0ई0जी0, पी0डी0एफ0, प्रारूप में)	✓		✓
7.	रजिस्ट्रीकृत वसीयत (जी0आई0एफ0, पी0एन0जी0, जे0पी0जी0, जे0पी0ई0जी0, पी0डी0एफ0 प्रारूप में)			✓
8.	मूल पट्टा विलेख की प्रतिलिपि	✓	✓	
9.	पूर्व में जारी नामान्तरण-पत्र की प्रतिलिपि यदि कोई हो	✓	✓	✓

(ग) आवेदन कारण प्रोद्भूत होने के अधिकतम तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस अवधि के पश्चात् नगरपालिका परिषद, एटा द्वारा नियत विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किए जायेंगे।

(घ) अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नियम-6 के अनुसार प्रभार की धनराशि की गणना करेगा और आवेदन करने की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के अन्दर आवेदक को तत्सम्बन्ध में आनलाइन भुगतान हेतु संसूचित करेगा। इसके साथ ही उस सम्पत्ति पर अवशेष सभी देयों के भुगतान हेतु भी सूचित किया जाएगा। आवेदक द्वारा तदनुसार पूर्ण धनराशि आगामी अधिकतम सात दिवसों में भुगतान की जाएगी। निर्धारित अवधि में भुगतान प्राप्त हो जाने पर प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन के संबंध में प्रारूप-3 पर इस आशय की कम से

कम एक महीने की नोटिस सभी सम्बन्धित हितवद्ध व्यक्तियों को जारी की जाएगी और उसकी एक प्रति आवेदक को भी दी जाएगी।

(ङ) खण्ड (घ) के अधीन जारी नोटिसों की सभी पक्षों को सम्यक् और सन्तोषजनक तामीली न होने की स्थिति में उक्त नोटिस नगरपालिका परिषद, एटा क्षेत्र में परिचालन वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाएगी। समाचार-पत्र में नोटिस के प्रकाशन का शुल्क उसके वास्तविक व्यय के अनुसार आवेदक द्वारा भुगतान किया जाएगा। वैकल्पिक रूप में आवेदक उसे नगर पालिका परिषद, एटा द्वारा इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निजी व्यय पर नगर पालिका परिषद, एटा क्षेत्र में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में उक्त नोटिस सीधे प्रकाशित कराया जायेगा।

(च) खण्ड (घ) के अधीन संसूचित धनराशि का भुगतान नियत अवधि में न किए जाने पर एक अन्य अवसर प्रदान करते हुए पुनः एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। इस अवधि में भी प्रभार की धनराशि न जमा करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा,

(छ) खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अन्तर्गत जारी नोटिस में अंकित अवधि व्यतीत होने के पश्चात् कोई उत्तर या आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में अधिशासी अधिकारी द्वारा अभिलेखों के नियम सम्मत पाए जाने पर तदनुसार आदेश पारित करते हुए निर्धारण सूची में यथास्थिति संशोधन या परिवर्तन कर दिया जाएगा और सूची प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरों से उसे प्रमाणीकृत किया जाएगा।

(ज) खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अधीन जारी नोटिस में नियत अवधि के भीतर उत्तर या आपत्ति प्राप्त होने की दशा में अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी संक्षिप्त जाँच और सम्बन्धित पक्षों/आपत्तिकर्ताओं या हितवद्ध व्यक्तियों को सम्यक् सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री और गुण-दोष के आधार पर उनका निस्तारण करने और समुचित आदेश पारित करने हेतु अधिशासी अधिकारी को अग्रसारित करेगा। किसी प्रकार के स्वत्वाधिकार से सम्बन्धित विवादित प्रकरण पर सक्षम न्यायालय का निर्णय अपेक्षित होगा।

(झ) निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी प्रभारों सहित अन्य समस्त देयों के भुगतान प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 45 कार्य दिवसों की अवधि में अविवादित प्रकरणों सम्बन्धी आवेदन का निस्तारण किया जाएगा।

(3) (क) कर निर्धारण सूची में सम्पत्ति के अध्यासन के आधार पर अंकित अध्यासियों के सम्बन्ध में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1916 की धारा-2 के खण्ड (11) के अधीन परिभाषित अध्यासी के पक्ष में किए जायेंगे।

(ख) कर निर्धारण सूची एवं तत्सम्बन्धी जारी आदेश में ऐसे संशोधन/परिवर्तन किए जाने पर 'अध्यासी' शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा जिसे प्रमाणीकृत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणीकृत किया जाएगा।

(ग) अध्यासन के आधार पर किए गए कर निर्धारण के विषय में वार्ड/सेक्टरवार कर निर्धारण सूची पृथक् से तैयार की जाएगी और उसी में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी अपेक्षित प्रविष्टियाँ की जाएगी।

(4) निर्धारण सूची के संशोधन अथवा परिवर्तन का प्रयोजन मात्र भवन, भूमि या दोनों के सम्पत्ति कर की वसूली के दृष्टिगत होगा।

5— हस्तान्तरण की नोटिस दिया जाना हस्तान्तरणकर्ता और हस्तान्तरिती की बाध्यता—

(1) जब किसी सम्पत्ति के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित होता है तो वह व्यक्ति जिसका स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है और वह व्यक्ति जिसे वह हस्तान्तरित किया गया है, हस्तान्तरण विलेख के निष्पादित होने के तीन माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना अधिशासी अधिकारी को देंगे।

(2) पूर्वोक्तानुसार प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में वह व्यक्ति जिसे उत्तराधिकारी के रूप में या अन्यथा मृतक का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है, अधिशासी अधिकारी को मृतक की मृत्यु के छः माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना देगा।

(3) अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उक्त सूचना के माध्यम से ऐसा हस्तान्तरण संज्ञान में आते हैं, इस उपविधि के प्रावधानों के अनुसार अन्तरिती का नाम निर्धारण सूची में प्रविष्ट कर दिया जाएगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो अधिशासी अधिकारी को इस प्रकार की सूचना दिये बिना पूर्वोक्तवत् हस्तान्तरण करता है, ऐसी उपेक्षा से उद्भूत अन्य देयता के सहित हस्तान्तरित सम्पत्ति पर निर्धारित सम्पत्ति कर के भुगतान का दायित्व निरन्तर बना रहेगा जब तक कि वह इस सम्बन्ध में सूचना/आवेदन नहीं देता अथवा जब तक कि ऐसा हस्तान्तरण निर्धारण सूची में अभिलिखित नहीं किया जाता।

(5) जब ऐसी सूचना/आवेदन नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया हों तो नगर पालिका परिषद, एटा द्वारा नियत विलम्ब शुल्क के साथ इसे प्रस्तुत किया जायेगा।

(6) यदि कोई भवन गिरा दिया गया हो या ध्वस्त हो गया हो तो जब तक अधिशासी अधिकारी को इसकी नोटिस न दे दी गई हो, तब तक स्वामी/अध्यासी सम्पत्ति कर के भुगतान का दायी होगा जैसा कि वह भवन गिराए जाने या ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में दायी था।

6- निर्धारित सूची के संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रभारों का लगाया जाना-

(1) जहाँ कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु आवेदन नगर पालिका परिषद, एटा को प्रस्तुत किया जाय वहाँ आवेदक से प्रभार इस उपविधि के अनुसार उद्गृहीत किया जाएगा। प्रभारों की दरें निम्नवत् होंगी-

(क)- किसी विधिक उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत वसीयत के मामले में प्रभार की दरें निम्नवत् होंगी-

क्रम सं०	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	प्रभार की धनराशि
1	2	3
	वर्गफीट-	रुपये-
1	1000 तक	500/-
2	1001-2000 तक	1,000/-
3	2001-3000 तक	1,500/-
4	3000 से अधिक	2,500/-

(ख)- नियम-3 के उपनियम (3) के अधीन अन्य सभी मामलों में प्रभारों की दर जिलाधिकारी द्वारा नियत सर्किल रेट या पंजीकरण विलेख में अंकित धनराशि, जो भी अधिक हो, के आधार पर निम्नवत् होंगी-

क्रम सं०	सम्पत्ति का मूल्य	प्रभार की धनराशि
1	2	3
	रुपये	रुपये
1	5 लाख तक	1,000/-
2	5 लाख से 10 लाख तक	2,000/-
3	10 लाख से 15 लाख तक	3,000/-
4	15 लाख से 50 लाख तक	5,000/-
5	50 लाख से ऊपर	10,000/-

(2) उपर्युक्त दरों में परिवर्तन अधिनियम, 1916 की धारा-92 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, एटा बोर्ड की स्वीकृति/अनुमति से किया जायेगा।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन एक से अधिक मध्यवर्ती संशोधन और परिवर्तन की स्थिति में प्रत्येक संशोधन और परिवर्तन पर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार देय होगा।

(4) यदि उपनियम (1) के खण्ड (ख) के मामलों में एक या एक से अधिक मध्यवर्ती विक्रय या अन्य अन्तरण हों और सम्बन्धित सम्पत्ति मध्यवर्ती क्रेताओं या अन्तरिती के नाम से निर्धारण सूची में अन्तरित न की गई हो तो प्रत्येक मध्यवर्ती विक्रय विलेख/अन्तरण पर इस उपविधि के अनुसार उपनियम-(1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट धनराशि के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार उद्गृहीत किया जाएगा।

(5) यदि उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद, एटा से सम्बन्धित कोई धनराशि देय है तो उसका भुगतान निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु देय प्रभारों के साथ किया जाएगा।

7— आदेश का संशोधन या निरस्तीकरण— जहाँ अधिशासी अधिकारी स्वतः या अन्यथा, ऐसी जाँच जैसा वह उचित समझे से सन्तुष्ट है कि सूची में संशोधन या परिवर्तन छल, सारवान तथ्यों के दुर्व्यपदेशन करके अथवा तथ्यों को छिपाया अथवा मिथ्या, अशुद्ध और अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया गया है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई करेगा और लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुए संशोधन या परिवर्तन निरस्त करके, उसे संशोधित किया जायेगा अथवा परिवर्तित किया जायेगा।

8— अपील— अधिशासी अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस दिनांक जिस दिनांक को उसे विनिश्चय संसूचित किया गया है, से तीस दिन के भीतर उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-160 के अधीन अपील कर सकता है।

अध्यक्ष,

नगर पालिका परिषद, एटा।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, एटा

16 दिसम्बर, 2025 ई0

सं0 2081/स0अनु0/2025-26—निदेशक, नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश के पत्र सं0-423/01 नगरीय प्रशिक्षण/2023 दिनांक 07.11.2023 व पत्र संख्या-पी0एम0यू0/11823/544(1)/2024 लखनऊ दिनांक 09 जनवरी, 2025 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, एटा ने अपनी सीमान्तर्गत नगर पालिका अधिनियम, 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अवशिष्ट (फीकल स्लज, सैपटेज और अवशिष्ट जल प्रबंधन) के डी-स्लजिंग परिवहन एवं ट्रीटमेंट तत्सम्बन्धी और प्रासंगिक अथवा अनुशांगिक मामलों के लिए निम्नलिखित उपविधि बनाई गयी है। इस उपविधि के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक सं0-1926/स0अनु0/2025-26 दिनांक 22 नवम्बर, 2025 द्वारा “दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान व दैनिक जागरण समाचार-पत्र” में (फीकल स्लज, सैपटेज और अवशिष्ट जल प्रबंधन उपविधि) दिनांक 23 नवम्बर, 2025 को प्रकाशित कराकर आपत्तियां एवं सुझाव आम जनमानस से 15 दिवस के अन्दर मांगे गये थे। निर्धारित अवधि तक आम जनमानस से कोई आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए है। इस उपविधि को बोर्ड बैठक के प्रस्ताव सं0-6 व 7 में दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 को सर्वसम्मति से लागू किये जाने हेतु स्वीकार किया गया है। अतः नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298(1), 300(1) व 301 के प्राविधानुसार नगर पालिका परिषद, एटा की (फीकल स्लज, सैपटेज और अवशिष्ट जल प्रबंधन उपविधि 2025) अन्तिम रूप से सरकारी गजट में प्रकाशित करायी जा रही है, जो सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से नगर पालिका परिषद, एटा सीमान्तर्गत लागू होगी—

अध्याय-1

प्रारम्भिक— शीर्षक, विस्तार और आरम्भ—

1— लघु शीर्षक और प्रारम्भ—

(क) इन विनियमों को “नगर पालिका परिषद, एटा फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन (F.S.S.W.M) उपविधि 2025” कहा जायेगा।

(ख) ये विनियम उत्तर प्रदेश के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से नगर पालिका परिषद, एटा की प्रशासनिक सीमा के भीतर लागू होंगे।

(ग) लघु शीर्षक और प्रारम्भ

2— परिभाषाएं—

(क) “एक्सेस कबर” से तात्पर्य है कि निरीक्षण सफाई और अन्य रख-रखाव कार्यों के लिए ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था (O.S.S.) तक पहुंच के लिए प्रयुक्त खुले हिस्से पर उपयुक्त ढक्कन।

(ख) नगर पालिका परिषद, एटा “पंजीकृत वैक्यूम टैंकर” से तात्पर्य है— राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए विधिवत पंजीकृत वैक्यूम टैंकर, जिसका नगर पालिका परिषद, एटा द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज (एफ0एस0एस0) के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान के लिए निरीक्षण और पंजीकरण किया गया हो।

(ग) “विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (D.W.W.T.) एक ऐसी एप्रोच है जिसमें व्यक्तिगत घरों, आवासीय सोसाइटियों, अलग-अलग पड़े समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या सृजन स्थल के समीप से अपशिष्ट जल के संग्रहण, ट्रीटमेंट और निपटान/पुनः उपयोग शामिल है। (D.W.W.T.) से अपशिष्ट जल के तरल, ठोस, दोनों भागों का उपचार किया जाता है।

(घ) “निर्दिष्ट अधिकारी” से तात्पर्य है— नगर पालिका परिषद, एटा का ऐसा अधिकारी, जिसे अधिशासी अधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी करने या उसे निर्दिष्ट किये गये किसी अन्य कार्य के निष्पादन के लिए अधिकृत किया गया है।

(ङ) “डी-स्लजिंग” से लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर अथवा नगर पालिका परिषद, एटा के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता व्यवस्था (O.S.S.) से (F.S.S.) को खाली करने का काम अभिप्रेत है।

(च) “निपटान”(F.S.N.) का किसी अधिसूचित स्थान पर परिवहन और प्रवाहित करना/ले जाने का काम अभिप्रेत है।

(छ) “उत्प्रवाही” किसी (O.S.S.) से स्रावित द्रव्य है सेप्टेज से निकलने वाले द्रव्य को भी उत्प्रवाही कहा जाता है।

(ज) “फीकल स्लज” से (O.S.S.) की नीचे बैठी सामग्री अभिप्रेत है। फीकल स्लज के लक्षणों को मोटे तौर पर घर-दर-घर, शहर दर शहर, और देश दर देश भिन्न किया जा सकता है। फीकल स्लज की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषतायें भण्डारण की अवधि, तापमान, मिट्टी की दशा, स्वच्छता व्यवस्था (O.S.S.) में भू-जल या सतही जल का प्रवेश, डी-स्लजिंग तकनीक और पैटर्न से प्रभावित होती है।

(झ) “फीकल स्लज व सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट (F.S.S.T.P.) “सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिए ठोस एवं तरल भागों का विनिर्धारित मानकों तक ट्रीटमेंट करने के लिए एक स्वतंत्र (F.S.S.) ट्रीटमेंट सुविधा है। इससे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (S.T.P.) भी अभिप्रेत किया जा सकता है। अगर वहाँ फीकल स्लज/सेप्टेज को सीवेज के साथ को-ट्रीट किया जाता है।

(ज) “लाइसेंस” से तात्पर्य है नगर पालिका परिषद, एटा” किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति जिसका उद्देश्य फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (F.S.S.M.) की सेवाओं का निर्वहन करना है। जिसमें नगर पालिका परिषद, एटा के निर्दिष्ट अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत उद्देश्य, सत्र, नाम और पता, मार्ग आदि का उल्लेख किया गया है।

(ट) “लाइसेन्स प्राप्त ऑपरेटर” से तात्पर्य है— डी-स्लजिंग करने और अधिसूचित स्थान पर (F.S.S.) के परिवहन के लिए लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति।

(ठ) “अधिसूचित स्थान” से तात्पर्य है— (F.S.S.) पहुंचाने और निपटाने का स्थान जिसे नगर पालिका परिषद, एटा द्वारा परिभाषित और निर्धारित किया गया है।

(ड) “ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था” से तात्पर्य है— (O.S.S.) ऐसी स्वच्छता तकनीक/व्यवस्था, जिसमें मलमूत्र एकत्रित/ट्रीट किया जाता है जहाँ पर वह उत्पन्न होता है।

(ढ) “प्रचालक” से तात्पर्य है— (F.S.S.) के डी-स्लजिंग, परिहन अथवा ट्रीटमेंट का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति।

(ण) “व्यक्ति” से तात्पर्य है—प्रासंगिक कानूनों के तहत शामिल एक व्यक्ति, एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म अथवा एक कम्पनी, व्यक्तियों का एक संगठन अथवा व्यक्तियों का एक निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं।

(त) “शेडयूल्ड डी-स्लजिंग” सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग आर्गेनाइजेशन (CPHEEO) की सिफारिशों के आधार पर 2-3 वर्ष के अंतराल पर (O.S.S.) को नियमित रूप से खाली करने की प्रक्रिया।

(थ) “सेप्टेज” सेप्टिक टैंक से डी-स्लज किया गया फीकल स्लज है।

(द) “सीवेज” अपशिष्ट जल है जिसे सीवरों के जरिये एक से दूसरे स्थान ले जाया जाता है।

(ध) “सीवर” से तात्पर्य है— समुदाय के अपशिष्ट जल, जिसे अन्यथा सीवेज कहा जाता है, को प्रवाहित करने के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराई गई भूमिगत पाइप लाइन।

(न) “सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट”— तात्पर्य है वह स्थान जहाँ सीवेज को सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार ट्रीट किया जाता है।

(प) “कार्यबल” से तात्पर्य है शहर में अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित शहरी स्वच्छता कार्यबल समिति के सदस्यों का उनके सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोगों शिक्षकों द्वारा सह-चयन किया जा सकता है।

(फ) “नगर पालिका परिषद, एटा के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी” से तात्पर्य है— राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए विधिवत् पंजीकृत वैक्यूम टैंकर, जिसका नगर पालिका परिषद, एटा द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज (F.S.S.) के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान के लिए निरीक्षण और पंजीकरण किया गया हो।

(ब) “परिवहन” से तात्पर्य है— (N.P.H.) पंजीकृत वैक्यूम टैंकर से (F.S.S.) को डी-स्लजिंग के स्थान से किसी अधिसूचित स्थान तक सुरक्षित तरीके से ले जाना।

(भ) “ट्रीटमेंट” से तात्पर्य है—प्रदूषण को कम करने या उसकी रोकथाम के लिए एफ0एस0एस0/सीवेज/अवशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी लक्षणों में परिवर्तन करने के लिए बनाई गई कोई वैज्ञानिक विधि या प्रक्रिया।

(म) “वैक्यूम टैंकर” एक ऐसा वाहन है जिसमें (F.S.S.) को (O.S.S.) से वायु द्वारा खींचने के लिए बनाया गया पंच टैंक होता है। इन वाहनों का उपयोग डी-स्लज किये गये (F.S.S.) के परिवहन के लिए भी किया जाता है।

(य) “अपशिष्ट जल” से तात्पर्य है— घरेलू/व्यवसायिक मानव गतिविधि से आने वाला तरल अपशिष्ट जिसमें शौचालय, रसोईघर और साफ-सफाई की गतिविधि शामिल है, किंतु विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधि से आने वाला अपशिष्ट शामिल नहीं है। आमतौर पर, यह मल-जल बरसाती जल (स्टॉर्म वॉटर) के लिए बनी नालियों से प्रवाहित किया जाता है, इस प्रकार इसमें बरसाती जल भी शामिल होता है। इन विनियमों में प्रयुक्त और इन विनियमों में अपरिभाषित और यहां इसमें ऊपर अपरिभाषित किंतु समय-समय पर लागू अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों से क्रमशः अधिनियम या कानून में निर्दिष्ट अर्थ अभिप्रेत होगा और ऐसा न होने पर उनसे जल आपूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट/निपटान उद्योग में सामान्यतः समझा जाने वाला अर्थ अभिप्रेत होगा।

अध्याय-2

अपशिष्ट जल प्रबंधन—

3— परिसर के अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निपटान— प्रत्येक संपत्ति मालिक/धारक (आवासीय और वाणिज्यिक, प्रस्तावित या मौजूदा सहित किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल का निम्नलिखित में से किसी एक या एकाधिक तरीकों से ट्रीटमेंट अथवा निपटान किया जाता है, अर्थात्

(क) यदि परिसर की सीमा से सीवर 30 (तीस) मीटर के भीतर या यथा व्यवहार्य किसी अन्य दूरी पर उपलब्ध है, संपत्ति को शुल्क (यदि कोई हो) के भुगतान पर और यथा: अपेक्षित अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने पर सीवरेज प्रणाली से जोड़े।

(ख) अपशिष्ट जल को बी0एन0पी0पी0 द्वारा अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र ट्रीटमेंट सुविधा में प्रवाहित किया जाये।

(ग) जिस संपत्ति से प्रतिदिन 10 हजार लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है और जिसके परिसर के भीतर 500 वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र है, वहां एक डी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0टी0 संस्थापित करेगा ताकि संपत्ति में उत्पन्न अपशिष्ट का ट्रीटमेंट किया जा सकें। संपत्ति मालिक/मालकिन, ट्रीटेड अपशिष्ट जल का बागवानी/पलशिंग के लिए पुनः उपयोग कर, इस प्रकार ताजे जल पर निर्भरता को कम करना सुनिश्चित करेगा।

(घ) परिसर का अपशिष्ट जल ओ0एस0एस0 में डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका कोई आउट-लेट न हो।

अध्याय-3

ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्थाएं—

4— ओ0एस0एस0 का डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव—

(क) ओ0एस0एस0 का डिजाइन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथा: अशोधित “मैन्युअल ऑन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, 2013, सी0पी0एच0ई0ई0ओ0” के प्रावधानों के अनुसार अथवा नगर पालिका परिषद, एटा या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गये किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे।

(ख) ओ0एस0एस0 से जुड़ी संपत्ति का मालिक/धारक, उससे निकलने वाले एफ0एस0एस0 की देखरेख, रख-रखाव और सुरक्षित निपटान के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) परिसर का मालिक/धारक नगर पालिका परिषद, एटा द्वारा यथा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष) में डी-स्लजिंग कराएगा।

(घ) परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके ओ0एस0एस0 में खराबी अथवा गलत निर्माण के कारण एफ0एस0एस0 के खुले क्षेत्र में सीधे प्रवाह या नाली में प्रवाहित होने के कारण पर्यावरण में कोई प्रदूषण न हो।

(ङ) परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर नगर पालिका परिषद, एटा या के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी के द्वारा पर्याप्त सुरक्षित उपायों को अपनाते हुए ओ0एस0एस0 को यांत्रिक रूप से साफ किया जाए और इस प्रयोजन के लिए कोई मैनुअल सफाई न की जाए।

(च) नगर पालिका परिषद, एटा या इसके निर्दिष्ट अधिकारी को गैर-अनुपालन के लिए परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर पालिका परिषद, एटा परिसर के मालिक/धारक को एक समय सीमा के भीतर अपनी लागत पर फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल (F.S.S.W.) के प्रबंधन और निपटान से सम्बन्धित रेट्रोफिटिंग/गैर-अनुपालन में सुधार करने के लिए नोटिस जारी कर सकती है।

(छ) नगर पालिका परिषद, एटा अपने विवेक से, सम्पत्ति मालिक/धारक को रेट्रोफिटिंग/गैर-अनुरूपी प्रणालियों में सुधार करने और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहन दे सकती है।

अध्याय-4

एफ0एस0एस0 के डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग

5— नगर पालिका परिषद, एटा द्वारा लाइसेंस जारी किया जाना—

(क) नगर पालिका परिषद, एटा निजी ऑपरेटर/ऑपरेटरों द्वारा स्वामित्व अथवा किराए पर लिए वैक्यूम टैंकर/टैंकरों का पंजीयन करेगा, जो वर्तमान में नगर पालिका परिषद, एटा शहर में डी-स्लजिंग की सेवा प्रदान कर रहे हैं।

(ख) नगर पालिका परिषद, एटा अपने कर्मचारियों सहित ऑपरेटरों के लिए इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एण्ड कम्प्यूनिकेशन (आई0ई0सी0) गतिविधियां करेगी, जहां उन्हें एफ0एस0एस0 को सुरक्षित रूप से डी-स्लज और परिवहन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को नियोजित करने के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद 01 महीने के भीतर किया जायेगा।

(ग) एक बार जब ऑपरेटर को लगता है कि वह लाइसेंस के मापदंडों का सफलतापूर्वक अनुपालन करता है, तो वह इन विनियमों के प्रपत्र-1 का उपयोग करते हुए इसके लिए आवेदन करेगा/करेगी। यह प्रशिक्षण पूरा होने के अधिकतम 02 महीने के भीतर किया जायेगा।

(घ) नगर पालिका परिषद, एटा—एफ0एस0एस0 को डी-स्लज करने और इसके परिवहन के लिए ऑपरेटर को लाइसेंस जारी करेगी।

(ङ) लाइसेंस इन विनियमों के प्रपत्र-2 में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा, और जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक वैध होगा, अन्यथा इसे पहले रद्द नहीं किया गया हो, और इसकी समाप्ति पर इसे नवीनीकृत किया जा सकेगा, जो कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा नियम और शर्तों की पूर्ति और निर्धारित शुल्क के भुगतान के आधार पर होगा।

(च) नगर पालिका परिषद, एटा आवेदक के स्वामित्व या किराए पर लिए गये वैक्यूम टैंकर/टैंकरों को पंजीकृत करेगी। नगर पालिका परिषद, एटा अपनी सन्तुष्टि के लिए वाहन का निरीक्षण करेगी। नगर पालिका परिषद, एटा को उन वाहनों के पंजीकरण को अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार है जिनके विषयनगर पालिका परिषद, एटा में मानती है कि इन विनियमों के अनुच्छेद-15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया गया हो अथवा जो शहर की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

6- लाइसेंस जारी करने हेतु मापदंड-

(क) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्य आवेदक से तात्पर्य इन नियमों के अनुच्छेद-2 (xv) में परिभाषित "व्यक्ति" है।

(ख) आवेदक के पास उचित वैक्यूम/सेक्शन और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-रहित (लीक-प्रूफ), गंध और छलकल-रोधी (स्पिल-प्रूफ) वैक्यूम टैंकर स्वामित्व में अथवा किराए पर होना/होने चाहिए।

(ग) सकीट में परिचालन किए जाने के लिए वाहन के पास परिवहन विभाग का वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

(घ) आवेदक नगर पालिका परिषद, एटा के साथ अपने वैक्यूम टैंकर/टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

(ङ) आवेदक यह शपथ करेगा कि उसके द्वारा स्वामित्व में अथवा किराए पर लिए गये वैक्यूम टैंकर, इन नियमों के अनुच्छेद-15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा करते हैं।

(च) आवेदक नगर पालिका परिषद, एटा अथवा नगर पालिका परिषद, एटा द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए श्रमिकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा।

(छ) आवेदक सुरक्षा गियरों और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पी0पी0ई0) के साथ श्रमिकों को लैस करने का कार्य करेगा, जो कि अधिसूचित स्थानों से एफ0एस0एस0 के सुरक्षित रूप से डी-स्लज, परिवहन और निपटान करने के लिए जरूरी होगा। ये आवश्यक पी0पी0ई0 इस विनियम के परिशिष्ट में उल्लिखित सूची के अनुसार होगा।

(ज) लाइसेंस के लिए आवेदन- एफ0एस0एस0 के डी-स्लज, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन, इसके नियम और शर्तों सहित इन विनियमों के प्रपत्र-1 के रूप में संलग्न निर्धारित प्रारूप में और नगर पालिका परिषद, एटा के निर्दिष्ट अधिकारी/अधिकारियों द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(झ) लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आवेदकों को आमंत्रण- बी0एन0पी0पी0 अपनी वेब-साइट पर और प्रमुख समाचार-पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समय-समय पर, सम्भावित आवेदकों को लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी।

(ञ) लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क- नगर पालिका परिषद, एटा लाइसेंस प्रदान करने के लिए, आवेदन को प्रक्रियागत करने हेतु समय-समय पर निर्धारित आवेदन-शुल्क प्रभावित कर सकती है। यह शुल्क गैर-वापसी योग्य होगा और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा नगर पालिका परिषद, एटा के पक्ष में डिमांड-ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

(ट) परफॉरमेंस गारंटी- लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर, बैंक गारंटी के तौर पर परफॉरमेंस गारंटी की निर्धारित राशि जमा करेगा जैसा कि नगर पालिका परिषद, एटा द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसे विनियमों के तहत किसी भी उल्लंघन के मामले में जब्त कर लिया जायेगा।

(ठ) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर का प्रचार- नगर पालिका परिषद, एटा समय-समय पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर/ऑपरेटरों को अपनी वेब-साइट पर और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार प्रदान करेगी।

(ड) जागरूकता अभियान- नगर पालिका परिषद, एटा इन नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी, साथ ही साथ एफ0एस0एस0 को डी-स्लज, परिवहन और निपटान हेतु केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को संलग्न करने की आवश्यकता के बारे में भी जागरूक करेगी।

अध्याय-5

एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं परिवहन

13— संपत्ति का मालिक/धारक केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को ही संलग्न करेगा—

(क) एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए नगर पालिका परिषद, एटा के लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या नगर पालिका परिषद, एटा के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों की सेवाओं को संलग्न करना संपत्ति के प्रत्येक मालिक/धारक का कर्तव्य होगा।

(ख) मालिक/धारक इस बात की पुष्टि करेगा/करेगी कि डी-स्लजिंग/स्लजरो को जारी किया गया लाइसेंस, कार्य के निष्पादन की तारीख तक वैध है। वह इन विनियमों के प्रपत्र-3 में निर्धारित एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग परिवहन एवं निपटान के रिकार्ड फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा/करेगी।

14— एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं परिवहन के लिए शुल्क—

(क) एफ0एस0एस0 की डी-स्लज करने और इसके अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए शुल्क को नगर पालिका परिषद, एटा के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा।

(ख) जब नगर पालिका परिषद, एटा शहर में शेड्यूल्ड डी-स्लजिंग के कार्य को कार्यान्वित करने का निर्णय लेगी, तब डी-स्लजिंग शुल्क को सैनिटेशन चार्ज द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अथवा इसे संपत्ति/जलकर में शामिल किया जा सकता है, जिसे समय-समय पर नगर पालिका परिषद, एटा द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(ग) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय-समय पर नगर पालिका परिषद, एटा द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक, संपत्ति के मालिक/धारक से कोई राशि बसूल नहीं करेगा/करेगी।

(घ) एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक किसी भी शुल्क की मांग, लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को उनके लाइसेंस रद्द किये जाने के लिए जिम्मेदार बनाएगा और इन विनियमों के उल्लंघन के लिए उन पर निर्धारित जुर्माना लगाया जायेगा।

15— एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए वाहन—

(क) एफ0एस0एस0 को केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर/ऑपरेटरों या नगर पालिका परिषद, एटा के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा ही डी-स्लज एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन किया जायेगा।

(ख) वैक्यूम टैंकर/टैंकरों को 6 महीने की अवधि के लिए पंजीकृत किया जा सकता है, भले ही सभी आवश्यक शर्तें पूरी न की गई हो। ऐसे मामलों में, सम्बन्धित ऑपरेटर को इस निश्चित समय-सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को अपग्रेड करना होगा।

(ग) एफ0एस0एस0 के सुरक्षित और कुशल परिवहन के लिए वाहनों को केवल निर्दिष्ट मार्गों (जैसा कि समय-समय पर नगर पालिका परिषद, एटा द्वारा चिन्हित किया जायेगा) पर ही चलना होगा।

(घ) एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन पर नगर पालिका परिषद, एटा द्वारा जारी किये गये ऑपरेटर लाइसेंस एवं पंजीकरण की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

(ङ) वैक्यूम टैंकर को पीले रंग से रंगा जायेगा तथा लाल रंग में “सेप्टिक टैंक वेस्ट” (SEPTIC TANK WASTE) (अंग्रेजी में) व “मलकुंड अपषिष्ट” (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियों को) चिन्हित किया जायेगा।

(च) एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन में एक जी0पी0एस0 उपकरण लगाया जायेगा, और निर्दिष्ट अधिकारी और नगर पालिका परिषद, एटा द्वारा अधिसूचित एजेंसी को ऐसे वाहनों के ट्रैकिंग के लिए इसके एक्सेस/पहुंच अधिकार दिये जायेंगे।

16— परिवहन के दौरान सावधानियां— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान एफ0एस0एस0 का कोई रिसाव/छलकाव नहीं हो।

17— दुर्घटना के मामले में सुरक्षात्मक उपाय— एफ0एस0एस0 को डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान प्रदूषण से बचने के लिए आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया जायेगा।

18— दुर्घटना के होने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर की जिम्मेदारी/देयता— किसी भी दुर्घटना या आपदा के होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को हुये किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर पूरी तरह से और पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा/होगी और पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को अपने स्वयं के खर्चे पर किसी भी क्षतिपूर्ति/मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी यदि इसे किसी प्राधिकरण/न्यायालय द्वारा प्रभारित किया गया है।

19— तैनात कर्मी/कर्मियों के लिए सुरक्षा-उपाय— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर सभी सुरक्षा उपायों को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें हाथ चालित गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षात्मक गियर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि शामिल हैं, और ऐसे अन्य उपायों को प्रदान करने के लिए भी जिन्हें इन विनियमों के साथ-साथ "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" में तथा इसके अधीन बनाए गये नियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

20— एफ0एस0एस0 का निपटान—

(क) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय-समय नगर पालिका परिषद, एटा द्वारा अधिसूचित स्थानों पर ही एफ0एस0एस0 का निपटान करेगा/करेगी।

(ख) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर विधिवत् तौर पर भरा और हस्ताक्षरित किया एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग परिवहन एवं निपटान का रिकॉर्ड फॉर्म नगर पालिका परिषद, एटा के निर्दिष्ट अधिकारी को जमा करेगा/करेगी।

21— कर्मी/कर्मियों का प्रशिक्षण— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर एफ0एस0एस0 के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान में तैनात कर्मी/कर्मियों के आद्यवधिक प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होगा/होगी।

22— कर्मी/कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा/होगी कि प्रत्येक कर्मी/कर्मियों की, जिन्हें ऐसे कार्य में नियोजित किया गया है, प्रति वर्ष कम से कम दो बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो और इसका प्रलेख नगर पालिका परिषद, एटा को प्रस्तुत किया जाता हो, ऐसा नहीं किए जाने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थ-दण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

23— बीमा— एफ0एस0एस0 को डी-स्लज, परिवहन करने और निपटान की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा तैनात कर्मियों को पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013" और 2003 की रिट याचिका संख्या-583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य) में अपेक्स कोर्ट के आदेश दिनांक 27 मार्च, 2014 के तहत मुआवजा देने के लिए बीमा किया जायेगा।

24— लाइसेंस रद्द करना— इन विनियमों सहित "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013" के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थ-दंड देने के लिये उत्तरदायी होगा/होगी जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसमें लाइसेंस को रद्द करना और कार्यबल या निर्दिष्ट अधिकारी/अधिकारियों की सिफारिश के अनुसार परफॉर्मंस गारंटी को जब्त करना शामिल है।

अध्याय-6

एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 के उपचार एवं पुनः उपयोग/निपटान

25— उपचार/निपटान स्थल/स्थलों की पहचान— नगर पालिका परिषद, एटा ऐसे स्थान/स्थानों की पहचान करेगी और अधिसूचित करेगी, जहां एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या नगर पालिका परिषद, एटा के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा उपचार/निपटान किया जायेगा।

26— एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 की प्राप्ति हेतु अधोसंरचना का सृजन— नगर पालिका परिषद, एटा आवश्यक बुनियादी अधोसंरचना तैयार करेगी और पंजीकृत वाहन/वाहनों द्वारा लाए गए एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 के उपचार/निपटान की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थान/स्थानों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगी।

27— एफ0एस0एस0 प्राप्त करने के लिए कर्मियों की तैनाती— प्रत्येक अधिसूचित स्थान/स्थानों पर एफ0एस0एस0 प्राप्त करने और इसे सम्बन्धित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने हेतु बी0एन0पी0पी0 पर्याप्त संख्या में कर्मियों को तैनात करेगी।

28— एफ0एस0एस0 प्राप्ति का समय— नगर पालिका परिषद, एटा द्वारा समय-समय पर अधिसूचित घंटे के दौरान प्रत्येक अधिसूचित स्थान/स्थानों पर नगर पालिका परिषद, एटा के तैनात कर्मियों द्वारा एफ0एस0एस0 प्राप्त किया जायेगा।

29— औद्योगिक अपशिष्टों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए— औद्योगिक अपशिष्ट युक्त एफ0एस0एस0 को अधिसूचित स्थान/स्थानों पर अनुमति नहीं दी जायेगी।

30— एफ0एस0एस0एम0 में प्रशिक्षण— बी0एन0पी0पी0 द्वारा अधिसूचित स्थान/स्थानों पर तैनात कर्मियों को एफ0एस0एस0 प्राप्त करने और उपचार/निपटान के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।

31—उपचारित एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 का पुनः उपयोग—

(क) नगर पालिका परिषद, एटा किसानों को अनुपचारित एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 के कृषि अनुप्रयोग से होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगी और एफ0एस0एस0टी0पी0 से उपचारित एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

(ख) नगर पालिका परिषद, एटा शहर में डी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0टी0 से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग बागवानी और किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेगी, जिसमें ताजे पानी के बदले में इसका उपयोग किया जा सकता है।

(ग) किसी भी निर्माण गतिविधि के परियोजना प्रस्तावक परियोजना के आसपास के क्षेत्र (01 किमी के दायरे) में उपलब्ध किसी भी उपचारित अपशिष्ट-जल का उपयोग निर्माण गतिविधियों के लिये करेंगे। केवल उपचारित अपशिष्ट-जल की अपर्याप्त उपलब्धता/अनुपलब्धता के मामलों में, प्रस्तावक अन्य उपलब्ध विकल्पों का पता लगाने और इस हेतु अनुमोदन लेने के लिए नगर पालिका परिषद, एटा से परामर्श करेगा।

अध्याय-7

प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन

32— प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन—

(क) इन नियमों के प्रशासनिक और प्रवर्तन अधिकार अधिशासी अधिकारी या निर्दिष्ट अधिकारी के पास निहित है, जिन्हें विधिवत तौर पर अधिशासी अधिकारी न0पा0परि0 एटा द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

(ख) डी-स्लजिंग, परिवहन या उपचार की सेवायें प्रदान करने के लिए नगर पालिका परिषद, एटा समय-समय पर उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित और अधिसूचित कर सकती है। इसकी लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं हेतु भुगतान करना होगा।

33— निरीक्षण के लिए विशेष अधिकार— इन विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन के उद्देश्य से के पास किसी भी समय किसी भी परिसर, परिवहन वाहनों और एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 उपचार सुविधा के निरीक्षण का अधिकार होगा।

34— उल्लंघन और दण्ड—

(क) इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के दोषी किसी भी व्यक्ति को इसके अनुपालन के लिए नोटिस जारी किया जायेगा।

(ख) (कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिए जिम्मेदार होगा/होगी, यदि ऐसा व्यक्ति-(क) उल्लंघन करता है अथवा इन नियमों के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है, (ख) न विनियमों के तहत किसी भी अधिकार के निर्वहन अथवा किसी भी कर्तव्य के अनुपालन में उसे सौंपे गये अधिकार के तहत कार्य करने वाले नगर पालिका परिषद, एटा के किसी निर्दिष्ट अधिकारी या अन्य अधिकारी के साथ बाधा, रोक या हस्तक्षेप करता है, (ग) किसी भी ओ0एस0एस0/सीवर को डी-स्लज करने के लिए हाथ से किये जाने वाले कार्य का सहारा लेता है।

(ग) इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट में इंगित राशि के साथ और सम्बन्धित कानून के तहत मुकदमा चलाकर दंडित किया जायेगा, और साथ ही एफ0एस0एस0 परिवहन वाहन, एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 उपचार सुविधा या संपत्ति को जब्त किया जायेगा, जैसा भी मामला हो।

(घ) जहां कहीं ऐसे किसी भी मामले में जिसमें परिशिष्ट में स्पष्ट रूप से जुर्माना इंगित नहीं किया गया है, दोषी पाये गये व्यक्ति को पांच हजार भारतीय रुपये (रु0 5,000) के जुर्माने के साथ दंडित किया जायेगा और इसके बाद निरंतर उल्लंघन के मामले में एक हजार भारतीय रुपये (रु0 1,000) प्रति दिन की दर से एक अतिरिक्त जुर्माना राशि के साथ ऐसे जारी उल्लंघन के लिए उस अवधि हेतु दंडित किया जायेगा।

(ङ) संदेह के समाधान के लिए, एतद् घोषित किया जाता है कि इन विनियमों में स्पष्ट तौर पर ऐसा कुछ नहीं होने के बावजूद किसी व्यक्ति को किसी भी अन्य सम्बन्धित अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और दंडित होने से नहीं रोका जा सकता है, जो उस समय लागू हो तथा जिन्हें ऐसे कृत्य अथवा चूक हेतु इन नियमों के तहत दंडनीय किया गया है।

35— अपील— कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के तहत नगर पालिका परिषद, एटा के किसी निर्दिष्ट अधिकारी के निर्णय से व्यथित हो, अधिशासी अधिकारी को ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता/सकती है (इन विनियमों के प्रपत्र-4 में संलग्न प्रारूप में) और यदि निर्णय अधिशासी अधिकारी द्वारा किया गया है, तो अपील उस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर कार्यबल को प्रस्तुत की जायेगी, जिसके विरुद्ध अपील की गई थी।

36— विवाद समाधान उपबंध— कोई भी विवाद, जो इन विनियमों के संचालन के सम्बन्ध में उठाया गया हो/उत्पन्न हुआ हो उनका समाधान भारतीय कानूनों के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा किया जायेगा और जिनका अधिकार क्षेत्र केवल एटाजिला होगा।

37— संदर्भ दस्तावेज— नियमों के कार्यान्वयन और निष्पादन की आसानी के लिये, इन नियमों के परिशिष्ट में प्रदान किये गये मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशा निर्देशों और नीतियों की सूची को संदर्भित किया जा सकता है, क्योंकि वे समय-समय पर संशोधित किये जायेंगे।

38— राज्य सरकार के निर्देश इन विनियमों के पूरक होंगे— राज्य सरकार न नियमों के प्रवर्तन व निष्पादन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए एफ0एस0एस0डब्ल्यू0एम0 के सम्बन्ध में निर्देश जारी कर सकता है।

निबंधन एवं शर्तें—

(क) मल कीचड़ और सेप्टेज (एफ0एस0एस0) का संग्रहण एवं परिवहन केवल ऐसे अभिकरण द्वारा किया जायेगा जिनके पास इस उद्देश्य हेतु नगर पालिका परिषद, एटा से जारी किया गया वैध लाइसेंस हो।

(ख) मल कीचड़ और सेप्टेज उपचार संयंत्र (एफ0एस0एस0टी0पी0) तक एफ0एस0एस0 के संग्रहण एवं परिवहन के लिए किया जाने वाला शुल्क समय-समय पर नगर पालिका परिषद, एटा द्वारा निर्धारित किया जायेगा। कोई भी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ओ0एस0एस0 के मालिक/मालकिन से निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं बसूल करेगा।

(ग) एफ0एस0एस0 का परिवहन केवल उन अनुमोदित वाहनों से होगा, जिन्हें नगर पालिका परिषद, एटा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ने अनुमति दी हो।

(घ) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि एफ0एस0टी0पी0 तक परिवहन के दौरान एफ0एस0एस0 का कोई रिसाव नहीं हो रहा है।

(ङ) डिस्टलजिंग बिन्दु से एफ0एस0एस0टी0पी0 तक एफ0एस0एस0 को ले जाने वाले वाहन के चलने के दौरान किसी भी दुर्घटना के होने के कारण प्रदूषण के खतरे का ध्यान रखने के लिए निर्धारित उपकरण लगाया जायेगा।

(च) एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक वाहन में जी0पी0एस0 उपकरण लगाया जायेगा और बी0एन0पी0पी0 और नगर पालिका परिषद, एटा द्वारा अधिसूचित एजेंसी को इसकी पहुंच/एक्सेस का अधिकार ऐसे वाहनों की निगरानी के लिए दिया जायेगा।

(छ) किसी भी दुर्घटना के होने अथवा आपदा की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति और पर्यावरण को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंसधारी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

(ज) एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

(झ) वाहन/टैंकर को पीले रंग से रंगा जायेगा तथा लाल रंग में "सेप्टिक टैंक वेस्ट" (SEPTIC TANK WASTE) (अंग्रेजी में) व "मलकुंड अपशिष्ट" (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियों को) चिन्हित किया जायेगा।

(ञ) लाइसेंसधारी एफ0एस0एस0 को केवल निर्दिष्ट एफ0एस0एस0टी0पी0/नामित स्थानों में ही निपटान करेंगे।

(ट) एफ0एस0एस0टी0पी0 पर एफ0एस0एस0 सभी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्राप्त किया जायेगा। लाइसेंसधारी इस तरह से ट्रिप की योजना, बनायेगा, ताकि तय किये गये समयावधि के भीतर टैंक को निर्दिष्ट स्थानों में खाली किया जा सकें।

(ठ) लाइसेंसधारी तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जो किसी दुर्घटना की स्थिति में पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उपाय करने, एफ0एस0एस0 के संग्रहण, परिवहन और निपटान की प्रभावी सेवायें प्रदान करने सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करने आदि के लिये होगा।

(ड) लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि प्रत्येक कर्मचारी सदस्य की प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो और लाइसेंस के नवीनीकरण के समय बी0एन0पी0पी0 को इससे सम्बन्धित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाये।

(ढ) एफ0एस0एस0 की सफाई, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया के दौरान किसी भी दुर्घटना के लिए तैनात कर्मचारियों का लाइसेंसधारी द्वारा बीमा किया जायेगा।

(ण) इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा और लाइसेंसधारी की बयाना-राशि/सुरक्षा-राशि को जब्त कर लिया जायेगा, और साथ ही साथ वह इन नियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित अर्थ-दण्ड का भुगतान करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे—

परिशिष्ट-5

दण्ड और जुर्माना

{ इस विनियम के खण्ड 3, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 27, 28, 29 और 33 को देखें }

क्र० सं०	विवरण	विनियम	सांकेतिक जुर्माना	जुर्माना (किसी अन्य दण्डात्मक रूप से कार्यवाही)
1	2	3	4	5
			रुपये—	
1.1	नाली/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधे/असुरक्षित प्रवाह	3	100	
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	100-200	
1.3	लगातार उल्लंघन तीसरा मामला	3	15 रु० प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
2.1	ओ०एस०एस० का अवैज्ञानिक डिजाईन और निर्माण	5	100 से 500	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	100 से 200	
2.3	लगातार उल्लंघन तीसरा मामला	5	15 रु० प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित	6	500	
3.1	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	500 से 1000	
3.2	लगातार उल्लंघन तीसरा मामला	6	200 रु० प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्तिक बिखराव में भाग लेने के लिए गैर अनुपालन	16, 17	1000-1500	
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16, 17	1000-1500	
4.3	लगातार उल्लंघन तीसरा मामला	16, 17	300 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
5.1	एसटीपी से अनुपचारित एफ०एस०एस० प्रवाहित करना	27, 28, 33	1000-1500	
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27, 28, 33	1000-2000	
5.3	लगातार उल्लंघन तीसरा मामला	27, 28, 33	500 प्रति दिन	सम्पत्ति की जब्ती
6.1	निकाय द्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना।	6, 7, 14, 27, 28, 29	1000-1500	
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	1500-2000	
6.3	लगातार उल्लंघन तीसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	1000 प्रति दिन	वाहन की जब्ती

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
एटा।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, एटा

17 दिसम्बर, 2025 ई0

सं0 2089/कर-अनुभाग/2025-26—नगर पालिका परिषद, एटा ने अपनी सीमा में लागू वर्तमान लाइसेंसिंग शुल्क व अन्य शुल्कों की उपविधि के कुछ मदों में संशोधन व लाइसेंसिंग दरों को लागू करने हेतु शासनादेश सं0-161/सी0एस0/नौ-9-97-23ज/97, दिनांक 16 दिसम्बर 1997 नगर विकास अनुभाग-9 के अनुपालन में दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित दुकानों/प्रतिष्ठानों/व्यवसायों को नियन्त्रित करने हेतु लाइसेंसिंग शुल्क नियन्त्रण उपविधि 2025 बनाई गई है। इस उपविधि पर इस कार्यालय के पत्रांक सं0-1853 दिनांक 12 नवम्बर, 2025 द्वारा "दैनिक समाचार पत्र-दैनिक भास्कर" दिनांक 14 नवम्बर, 2025 व हिन्दुस्तान में दिनांक 14 नवम्बर, 2025 को प्रकाशित कराकर आमजन से 30 दिन के अन्दर आपत्तियाँ एवं सुझाव आमन्त्रित किये गये थे जिस पर आमजन से कोई आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये थे। इस उपविधि को बोर्ड बैठक के प्रस्ताव सं0-04 दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 के द्वारा लागू किये जाने हेतु सर्वसम्मति से पारित किया गया है। अतः नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-298(1), 300(1) व 301 के अन्तर्गत प्राविधानानुसार लाइसेंस शुल्क नियन्त्रण नियमावली-2025 अन्तिम रूप से सरकारी गजट में प्रकाशित करायी जा रही है जो प्रकाशन की दिनांक से नगर पालिका परिषद, एटा की सीमान्तर्गत लागू होंगी।

लाइसेंसिंग शुल्क नियन्त्रण उपविधि 2025

- 1— यह उपविधि नगर पालिका परिषद, एटा की सीमा के अन्तर्गत लागू होगी।
- 2— अध्यक्ष का तात्पर्य— अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, एटा से है।
- 3— अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य— अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, एटा से है।
- 4— अनुज्ञप्ति गृहीता का तात्पर्य उपविधि में उल्लिखित मदों का अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से है।
- 5— यह उपविधि लाइसेंसिंग शुल्क नियन्त्रण उपविधि 2025 कहलायेगी और राजकीय गजट में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी होगी।
- 6— कोई भी दुकान/प्रतिष्ठान/अन्य व्यवसाय इस उपविधि में उल्लिखित मदों का लाइसेंस प्राप्त किये बिना संचालित नहीं करेगा और इस उपविधि के लागू होने से पूर्व चल रहे समस्त व्यवसायों के लाइसेंस उपनियम के अन्तर्गत वर्तमान शुल्क/दरों के अनुसार वसूल करना आवश्यक होगा।
- 7— प्रत्येक दुकानदार/प्रतिष्ठान मालिक/व्यवसायी के लिये आवश्यक होगा कि वह निम्न तालिका के अनुसार निर्धारित की गई धनराशि नगर पालिका परिषद, एटा में या अधिकृत कर्मचारी को अदा कर लाइसेंस प्राप्त कर ले।
- 8— लाइसेंस की अवधि प्रत्येक वर्ष में 01 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिये एक वर्ष की होगी।
- 9— केन्द्र/राज्य सरकार या अन्य कोई भी विधि विहित संस्था द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियन्त्रण हेतु लाइसेंस निर्गत किया जाता है वह लाइसेंस इस लाइसेंस से भिन्न होगा।
- 10— कोई भी ऐसा व्यक्ति जो छूत की बीमारी से पीड़ित हो, न तो वह स्वयं ऐसा व्यवसाय करेगा और न ही वह ऐसे व्यवसाय में किसी ऐसे व्यक्ति को सेवायोजित करेगा।
- 11— इस उपविधि में उल्लिखित मदों की जाँच अधिशासी अधिकारी/कर निर्धारण अधिकारी/कर अधीक्षक/राजस्व निरीक्षक या अधिकृत कर्मचारी किसी भी दुकान आदि के लाइसेंस निरीक्षण कर सकते हैं और प्रत्येक दुकान आदि के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिये अधिकृत होंगे मानक के अनुरूप लाइसेंस न होने पर उसे निरस्त करने या रोकने का अधिकार कर निर्धारण अधिकारी/अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।
- 12— लाइसेंस अधिशासी अधिकारी/कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी कर्मचारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।
- 13— वाहनों व जानवरों के लाइसेंस चैकिंग में पकड़े जाने पर नगर पालिका की रसीद न दिखाये जाने पर अपने नियन्त्रण (कस्टडी) में लेने का अधिकार होगा और यदि एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित किये गये जुर्माना की

धनराशि अदा न करने पर लाइसेंस प्राप्त न किये जायेगा तो किसी भी नोटिस से नीलाम कर धनराशि नगर पालिका कोष में जमा करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14- अधिशासी अधिकारी या इनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी को इन उपविधि के अधीन खाद्यान से सम्बन्धित व्यवसाय होटल, दुकान, हलवाई आदि की दुकान निरीक्षण के समय गन्दगी पाये जाने पर गन्दगी के विरुद्ध तथा सड़ी-गली बस्तुओं के विरुद्ध कार्यवाही अथवा मानव अनुपयोगी पदार्थों को नष्ट करने का अधिकार होगा।

15- इस उपविधि के अधीन अधिशासी अधिकारी/लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति दुकानदार को लाइसेंस न दिये जाने पर एक माह के अन्दर अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से सुनवाई हेतु अपील कर सकता है।

शासनादेश सं0-161सी0एम0/नौ-9-97-23ज/97 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 16 दिसम्बर, 1997 संलग्नक दरें—

क्रम सं०	मद का नाम	निर्धारित दरें
1	2	3
		रुपये—
1	होटल, लाजिंग, गेस्ट हाउस, बारात घर	1,000/-
2	तीन सितारा होटल	9,000/-
3	पाँच सितारा होटल	12,000/-
4	नर्सिंग होम (20 बेड तक)	2,000/-
5	नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर)	5,000/-
6	प्रसूति गृह (20 बेड तक)	4,000/-
7	प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर)	5,000/-
8	प्राइवेट अस्पताल	5,000/-
9	पैथोलाजी सेंटर	1,000/-
10	एक्सरे क्लीनिक	2,000/-
11	डेंटल क्लीनिक	4,000/-
12	प्राइवेट क्लीनिक	3,000/-
13	आटो रिकशा 2 सीटर	360/-
14	आटो रिकशा 7 सीटर (टेम्पो)	720/-
15	आटो रिकशा 4 सीटर	500/-
16	मिनी बस/अन्य व्यवसायिक वाहन	1,500/-
17	बस	2,500/-
18	ट्रक	2,500/-
19	मैटाडोर डीसीएम	700/-
20	ई-रिकशा किराये पर	500/-
21	रिकशा (निजी चलित)	400/-

1	2	3
		रुपये—
22	फाइनेंस कम्पनी, चिट फण्ड	6,000/-
23	इंश्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	12,000/-
24	बैंक	12,000/-
25	बीयर बार	6,000/-
26	आईस फैक्ट्री, विल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5,000/-
27	देशी शराब प्रति दुकान	6,000/-
28	विदेशी शराब प्रति दुकान	12,000/-
29	बकरा मांस की दुकान	1,000/-
30	मुर्गा व मछली मांस	500/-
31	मोबाइल टावर	12,000/-
32	समस्त प्रकार के मॉल	10,000/-
33	पशु पालन	1,000/-
34	विलम्ब शुल्क समस्त मदों पर (प्रति माह)	100/-
35	सर्कस, प्रदर्शनी या उत्सव मेला (सरकारी स्वीकृति छोड़कर) प्रति दिन	2,000/-
36	प्रचार सम्बन्धी प्रति साउण्ड	300/-
37	प्रचार सम्बन्धी इलेक्ट्रिक वाहन (तीन पहिया) प्रति दिन	300/-
38	प्रचार सम्बन्धी मैजिक, डीसीएम/अन्य वाहन पर	600/-
39	टी स्टॉल/परचून दुकान	100/-
40	लकड़ी बांस-बल्ली एवं भूसा दुकान	250/-
41	मछली मार्केट की दरें (केवल ठेका न होने की स्थिति में ही लागू)	20 प्रतिशत की दर से तुलाई शुल्क
42	मजवाह (छोटा) शुल्क (केवल ठेका न होने की स्थिति में ही लागू)	800/-
43	मजवाह (बड़ा) शुल्क (केवल ठेका न होने की स्थिति में ही लागू)	1,000/-

शास्ति

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 की उपधारा (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका आदेश देती है कि उपरोक्त उपविधि में दिये गये किसी भी उपबन्धों की अवहेलना करने पर अर्थदण्ड रुपया 1,000.00 लिया जा सकेगा और निरन्तर उल्लंघन जारी रहने पर अग्रेतर जुर्माना किया जा सकेगा जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो रु0 25.00 तक हो सकेगा।

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
एटा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम देवेन्द्र प्रताप पाण्डेय पुत्र आशुतोष पाण्डेय है जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-2541 2981 6389 में उसका नाम निखिल पाण्डेय अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम देवेन्द्र प्रताप पाण्डेय पुत्र आशुतोष पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आशुतोष पाण्डेय,
पुत्र नर्मदा प्रसाद पाण्डेय
पता-216/58डी/3, नयी बस्ती बेनीगंज,
जी0टी0बी0 नगर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिवकान्त तिवारी पुत्र शिवमंगल तिवारी है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-4057 3947 4834 में उसका नाम मिथलेश माझी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे सही नाम शिवकान्त तिवारी पुत्र शिवमंगल तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शिवकान्त तिवारी पुत्र शिवमंगल तिवारी,
निवासी-अटवा पो0 अटवा तहसील सफीपुर,
जिला उन्नाव, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु0 सूफिया रिजबी अख्तर पुत्री महमूद हसन है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-7244 0373 6712 में मेरा नाम साहाना

बेगम (SAHANA BEGAM) अंकित हो गया जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु0 सूफिया रिजबी अख्तर (KM SUFIYA REJBI AKHTAR) पुत्री महमूद हसन, पत्नी तौफीक अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कु0 सूफिया रिजबी अख्तर,
पुत्री महमूद हसन,
निवासिनी- वार्ड नं0-5 विकास नगर,
रसूलाबाद, कानपुर देहात उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम श्रीमती सुमित्रा देवी (SUMINTRA DEVI) पत्नी स्व0 ओम प्रकाश त्रिपाठी है जो मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में अंकित है। लिपिकीय त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-2285 2926 0545 में मेरा नाम सुमित्रा देवी (SUMITRA DEVI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुमित्रा देवी (SUMINTRA DEVI) पत्नी स्व0 ओम प्रकाश त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुमित्रा देवी,
SUMINTRA DEVI
पत्नी स्व0 ओम प्रकाश त्रिपाठी,
निवासिनी-80, निखोदा, पोस्ट कुम्हियांवा,
तहसील मंझनपुर, जनपद-कौशाम्बी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सूर्याश तिवारी पुत्र पुष्पेन्द्र तिवारी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-8683 6173 0208 में उसका नाम देव तिवारी अंकित हो गया है जो कि गलत है।

भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सूर्याश तिवारी पुत्र पुष्पेन्द्र तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

पुष्पेन्द्र तिवारी पुत्र विरेन्द्र कुमार तिवारी,
पता— बरईपुर, कोटवा प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम यादव आशीष कुमार कुंवरबहादुर पुत्र कुंवरबहादुर है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—5521 3883 2975 में मेरा नाम यादव आशीष कुमार हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम यादव आशीष कुमार कुंवरबहादुर पुत्र कुंवरबहादुर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

यादव आशीष कुमार कुंवरबहादुर,
निवासी—ग्राम—कुकुढा, पो0 बीरापुर,
तहसील हण्डिया, जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शान्तनु कुशवाहा पुत्र प्रकाश चन्द्र है जो उसके शैक्षिक अभिलेख तथा जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—7072 7154 9659 में राणा कुशवाहा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शान्तनु कुशवाहा पुत्र प्रकाश चन्द्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रकाश चन्द्र
मौजा मझिगवॉ, अकोढा,
करछना जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मोहम्मद सईद सिद्दीकी पुत्र मोहम्मद ताहिर है जो कि मेरे हाउस टैक्स की रसीद, परिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, पार्षद द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र व उपजिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—3546 9869 8335 में मेरा नाम मो0 सईद अख्तर अंकित हो गया है, जो कि मेरा घरेलू नाम है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे मोहम्मद सईद सिद्दीकी पुत्र मोहम्मद ताहिर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मोहम्मद सईद सिद्दीकी पुत्र मोहम्मद ताहिर,
KW46/5ए/1, करैली, गौस नगर, दामपुर,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आराध्या शुक्ला पुत्री दीपक कुमार शुक्ला है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0—4422 1003 6864 में उसका नाम कृतिका शुक्ला अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आराध्या शुक्ला पुत्री दीपक कुमार शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

दीपक कुमार शुक्ला, पुत्र श्री छोटे लाल शुक्ला,
निवासी—मोहल्ला अकबरपुरा,
शहर, व जिला बहराइच, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अब्दुल कादिर बच्चे पुत्र स्व0 मोहिजउद्दीन है

जो मेरे बिजली बिल व पैन कार्ड तथा उप जिलाधिकारी जॉच आख्या में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-7618 6329 1634 में मेरा नाम बच्चे अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अब्दुल कादिर बच्चे पुत्र स्व० मोहिजउद्दीन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अब्दुल कादिर बच्चे पुत्र स्व० मोहिजउद्दीन,
निवासी-139डी/15डी, रसूलाबाद पो० तेलियरगंज,
परगना व तहसील सदर,
जनपद प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम श्री विद्या भूषण शुक्ला पुत्र श्री लाल बिहारी शुक्ला है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-2444 7487 1178 में मेरा नाम वी०बी० शुक्ला अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम श्री विद्या भूषण शुक्ला पुत्र श्री लाल बिहारी शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

श्री विद्या भूषण शुक्ला,
पुत्र श्री लाल बिहारी शुक्ला,
पता- अेंट मडवाधनावल, पोस्ट बबूरा कला,
मिर्जापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अचिंत मिश्र सुत विनोद कुमार मिश्रा है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-5289 8016 5006 में उनका नाम आयुष मिश्रा हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अचिंत मिश्र सुत विनोद कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विनोद कुमार मिश्रा, सुत अयोध्या प्रसाद मिश्रा,
निवासी- ग्राम व पो० शुकुलपुर दहिलामऊ,
जनपद प्रतापगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम वैष्णवी गुप्ता पुत्री राजकुमार गुप्ता है जो मेरे पैन कार्ड, बैंक पासबुक एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी एल०आई०सी० पॉलिसी सं०-234246594 में मेरा नाम कु० शिवानी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम वैष्णवी गुप्ता पुत्री राज कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

वैष्णवी गुप्ता पुत्री राजकुमार गुप्ता,
निवासिनी 105/718 आनंद बाग, कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सयश कटियार पुत्र कैलाश नाथ है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख आधार कार्ड पैन कार्ड व बैंक पासबुक में अंकित है। त्रुटिवश एल०आई०सी० पॉलिसी सं०-231217675 में मेरा नाम सोमिन्द्रा कटियार अंकित हो गया है, जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सयश कटियार पुत्र कैलाश नाथ के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सयश कटियार पुत्र कैलाश नाथ,
निवासी फिरोजापुर, पो० असलनापुर,
कानपुर देहात।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आरूषी पाण्डेय (AARUSHI PANDEY) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-7056 3802 0538 में उसका नाम इशी पाण्डेय (ISHI PANDEY) अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आरूषी पाण्डेय पुत्री योगेश पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

योगेश पाण्डेय,
पुत्र श्री संकटा प्रसाद पाण्डेय,
निवासी-मं0 नं0 359/33/1, कटरा खुदायार खाँ,
सआदतगंज, लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अजहान अमीन अहमद है जो कि मेरे पुत्र के समस्त शैक्षणिक अभिलेखों व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है, त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0-4189 1323 6083 में मेरे पुत्र का नाम अजलान अमीन अहमद (AZLAAN AMEEN AHMAD) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम (AZHAAN AMEEN AHMAD) पुत्र मंसूर अहमद (MANSOOR AHMAD) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मंसूर अहमद, पुत्र खुशीद अहमद,
निवासी-एल1/86, कपूरथला के पास,
सेक्टर-बी, अलीगंज, हाउसिंग स्कीम,
जिला-लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सरिता साहा पुत्री राम लखन प्रसाद है जो मेरे

शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। शादी के पश्चात मेरा नाम सरिता साहा से सरिता गुप्ता हो गया है। त्रुटिवश मेरे INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA के फोलियों नं0-IDB 027365 के सर्टिफिकेट नं0 422121 में मेरा नाम सरिता साहा अंकित हो गया है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सरिता गुप्ता,
पत्नी रणजीत कुमार गुप्ता,
निवासी-के54/151, आर-1, दारानगर,
वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अग्रिमा पाण्डेय पुत्री अतुल पाण्डेय है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-5762 0382 1660 में उसका नाम प्रितुल पाण्डेय अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य मेरी पुत्री को उसके सही नाम अग्रिमा पाण्डेय पुत्री अतुल पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अतुल पाण्डेय,
पुत्र श्री अरुण कुमार पाण्डेय,
पलैट नं0-504, डॉ0 नन्दलाल सिंह,
वेल फेयर सोशायटी, सन्दरपुर,
वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम पृथ्वी सिंह PRITHVEE SINGH है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-8935 3672 4743 में उसका नाम प्रितु प्रताप सिंह PRITHU PRATAP SINGH हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम पृथ्वी सिंह PRITHVEE SINGH पुत्र प्रमेन्द्र

कुमार सिंह PRAMENDRA KUMAR SINGH के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रमेन्द्र कुमार सिंह, पुत्र रमेश कुमार सिंह,
निवासी—भेवरकरमनपुर, पोस्ट रायपुर,
पोख्ता, मीरजापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता का सही नाम शिवकुमारी है जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे इण्टर के अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक—23714215 वर्ष 2022) में मेरी माता का नाम सुमन मौर्या अंकित हो गया है, जो कि गलत है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कशिश मौर्या पुत्री सन्तोष कुमार,
बरौत, हण्डिया प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम राघवी त्रिपाठी पुत्री करुणेश नारायण त्रिपाठी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0—2205 9342 5740 में उसका नाम शुभी त्रिपाठी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम राघवी त्रिपाठी पुत्री करुणेश नारायण त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

करुणेश त्रिपाठी,
पुत्र स्व0 दामोदर प्रसाद त्रिपाठी,
निवासी— ग्राम सोनवरसा लालगोपालगंज,
जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अमर सिंह यादव (Amar Singh Yadav) पुत्र हीरा लाल है, जो कि मेरे निर्वाचन कार्ड, बैंक पास बुक, परिवार रजिस्टर की नकल तथा उपजिलाधिकारी/तहसीलदार की जाँच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं 6111 6326 7571 में मेरा नाम अरविन्द कुमार पुत्र हीरा लाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अमर सिंह यादव (Amar Singh Yadav) पुत्र हीरा लाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अमर सिंह यादव, पुत्र हीरा लाल
ग्राम राम नगर चक्काजी महरौंदा,
सोराव प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम दशरथ पुत्र गोकुल है जो मेरे राशन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली का बिल, गैस पासबुक, खतौनी तथा परिवार रजिस्टर में अंकित है। त्रुटिवश मेरा आधार कार्ड संख्या 4515 4189 6186 में मेरा नाम राजेश कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मुझे मेरे सही नाम दशरथ पुत्र गोकुल के नाम से जाना पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

दशरथ पुत्र गोकुल,
सैदराजपुर पो. ईश्वरदासपुर थाना गदागंज,
तहसील ऊंचाहार, रायबरेली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सेराजुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन है, जो कि मेरे राशन

कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर एवं निर्वाचन कार्ड (पहचान पत्र) तथा उपजिलाधिकरी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-3028 6885 3690 में मेरा नाम सेराज अहमद मंसूरी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सेराजुद्दीन (SERAJUDDIN) पुत्र निजामुद्दीन के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सेराजुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन
निवासी-ग्राम हैदरपुर पो0-सराय हरखू,
सदर जनपद जौनपुर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम यूशरा (YUSHRA) पुत्री अबू तालिब (ABU TALIB) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 3320 7491 7667 में मेरा नाम उसरा तालिब (USRA TALIB) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम यूशरा (YUSHRA) पुत्री अबू तालिब के नाम से जानी व पहचानी जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

यूशरा,
95 च/57ए, कसारी मसारी,
चकिया प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुरेश कुमार पुत्र रघुवर है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली बिल, खतौनी तथा उपजिलाधिकारी जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-2265 3788 4999 में मेरा नाम सर्वेश कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे

मेरे सही नाम सुरेश कुमार पुत्र रघुवर नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सुरेश कुमार, पुत्र रघुवर,
निवासी- 62, इब्राहिमपुर, निलमथा,
तहसील-सरोजनी नगर, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आरती पुत्री कुलदीप है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-6217 3016 9604 में उसका नाम पूजा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आरती पुत्री कुलदीप के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

कुलदीप,
निवासी- ग्राम हराहरा, पोस्ट नोनापुर,
तहसील भोगनीपुर, जिला कानपुर देहात।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं हबलाल पुत्र राम आनन्द निवासी ग्राम सौरहा पोस्ट फूलपुर थाना व तहसील फूलपुर जनपद प्रयागराज अवगत कराता हूं कि मेरे पुत्र का सही व शुद्ध नाम कृष्ण कुमार है। मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश अनमोल हो गया है। जिनका आधार कार्ड सं0-7298 2034 5173 है। मेरे पुत्र का शुद्ध व सही नाम कृष्ण कुमार है तथा समस्त शैक्षणिक अभिलेखों में भी उक्त नाम अंकित है। मेरे पुत्र का उनके शैक्षणिक अभिलेखों के अनुसार आधार कार्ड में कृष्ण कुमार किया जाना न्यायहित में परम आवश्यक है।

हबलाल, पुत्र राम आनन्द,
निवासी- ग्राम सौरहा पोस्ट फूलपुर,
तहसील फूलपुर जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सुधांशु सिंह पुत्र सुधाकर सिंह है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-5922 0003 5764 में उसका नाम सुधांशु सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सुधांशु सिंह पुत्र सुधाकर सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुधाकर सिंह, पुत्र दुर्गा प्रसाद सिंह,
पता-एल-1/128, विनय खंड-1,
गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

NOTICE

The general public is informed that my correct name is Maya Devi, wife of Chhedan Lal Yadav, which appears on my Ration Card, Bank passbook, pension, my husband's Service Records and Health Certificate, and the Sub-Divisional Magistrate's investigation report. My name, Ramkali, has been mistakenly listed on my Aadhaar Card Number- 9600 4601 3636, which is incorrect. In the future, I should be known and recognized by my correct name, Maya Devi, wife of Chhedan Lal Yadav.

It is hereby certified that all the legal formalities in respect of the above have been completed by me personally.

Maya Devi wife of Chhedan Lal Yadav,
Resident of village Mendu Post Kakedi,
Tehsil and District Hardoi.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आरोही मौर्या (AROHI MAURYA) पुत्री अतुल कुमार मौर्य है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या-

7575 0991 0069 में उसका नाम अरुडिता मौर्या (ARUDITA MAURYA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आरोही मौर्या (AROHI MAURYA) पुत्री अतुल कुमार मौर्य के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अतुल कुमार मौर्य,
69 ग, हनुमंत पुरम् पोस्ट अहियापुर,
जिला रायबरेली, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। कि मेरे सम्पत्ति कर रसीद में मेरा नाम फरीदा खातून उर्फ जन्नत बीबी. जलकल रसीद में मेरा नाम फरीदा खातून उर्फ जन्नत बीबी. खसरा में मेरा नाम फरीदा खातून उर्फ जन्नत बीबी पुत्री स्व0 शमसुर रहमान अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 2044 1517 1655 में मेरा नाम जन्नत खातून पत्नी कफील अहमद अंकित है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही हैं। भविष्य में मुझे फरीदा खातून पत्नी कफील अहमद पुत्री शमसुर रहमान के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

फरीदा खातून, पत्नी कफील अहमद,
निवासी- 132/85ए सुल्तानपुर भावा,
जनपद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम इनायत गुप्ता पुत्री सुरेश चन्द्र गुप्ता है जो शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0- 3619 4071 0249 में उसका नाम लिटिल गुप्ता अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम इनायत गुप्ता पुत्री सुरेश चन्द्र गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुरेश चन्द्र गुप्ता, पुत्र कन्हैया लाल,
544, कृष्णा नगर, कीडगंज,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अरबिंद कुमार तिवारी (Arabind Kumar Tiwari) पुत्र कैलाश पति तिवारी है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-9598 5412 0289 में मेरा नाम Arvind Kumar Tiwari अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अरबिंद कुमार तिवारी (Arabind Kumar Tiwari) पुत्र कैलाश पति तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अरबिंद कुमार तिवारी पुत्र कैलाश पति,
नि०- ग्राम भट्टी पोस्ट लौहता,
वाराणसी, (उ०प्र०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरी पुत्री का सही नाम आर्या भार्गव (ARYA BHARGAVA) पुत्री हेमन्त कुमार भार्गव है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 4092 1227 9440 में उसका नाम श्रिया भार्गव अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री का उसके सही नाम आर्या भार्गव (ARYA BHARGAVA) पुत्री हेमन्त कुमार भार्गव के नाम से जाना व पहचाना जाय। एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

हेमन्त कुमार भार्गव,
पुत्र श्री राम यश भार्गव,
नि०-ग्राम, पोस्ट- मऊ (यमुना रोड),
जिला - चित्रकूट (उ० प्र०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अंकिता पटेल (Ankita Patel) पुत्री ओम प्रकाश पटेल है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-8637 9340 4761 में मेरा नाम अंकिता पटल (Ankita Patal) हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अंकिता पटेल (Ankita Patel) पुत्री ओम प्रकाश पटेल के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा की गई हैं।

अंकिता पटेल
ग्राम तिगुड़ी, पोस्ट उतरास,
तसहील पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मनराजी देवी पत्नी रामानुज सिंह है जोकि मेरे खतौनी, बैंक पास बुक, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल एवं उप जिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०- 2510 7693 2029 में मेरा नाम मनरजिया अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मनराजी देवी पत्नी रामानुज सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

मनराजी देवी पत्नी रामानुज सिंह,
नि०- ग्राम व पोस्ट गाढ़ा तहसील कोरांव,
जनपद प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम भोला देवी पत्नी रामयश है जो मेरे वोटर आई, कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी, परिवार रजिस्टर की नकल

व उप जिलाधिकारी जांच रिपोर्ट में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-8591 7524 8303 में मेरा का नाम मोला अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम भोला देवी पत्नी रामयश के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

भोला देवी पत्नी रामयश,
निवासी-39, ग्राम भाउपुर परगना,
व तहसील पट्टी प्रतापगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कुसुम मिश्रा पत्नी विजय कुमार मिश्रा है, जो मेरे निर्वाचन कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर मेरे पति के सेवा सम्बन्धी अभिलेखों व उप जिलाधिकारी बारा जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधारकार्ड संख्या-8578 5652 6983 में मेरा नाम शान्ती देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कुसुम मिश्रा पत्नी विजय कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कुसुम मिश्रा, पत्नी विजय कुमार मिश्रा,
निवासी- ग्राम व पोस्ट चिल्ला,
गौहानी जसरा, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राजेन्द्र गुप्ता पुत्र स्व० सूर्यनारायण है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-3955 7689 7403 में मेरा नाम राजेन्द्र अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे सही नाम राजेन्द्र गुप्ता पुत्र स्व० सूर्यनारायण के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजेन्द्र गुप्ता,
पुत्र स्व० सूर्यनारायण,
निवासी- मोहल्ला भटठा करौंदिया,
गोमतीनगर जिला सुल्तानपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जगबीर सिंह पुत्र म्यान स्वरूप यादव जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक में अंकित है। त्रुटिवश एल.आई.सी. पालिसी सं० 262786906 में मेरा नाम मास्० म्यान ज्योति गुलवीर अंकित हो गया है। जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जगबीर सिंह पुत्र म्यान स्वरूप यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

जगबीर सिंह,
पुत्र म्यान स्वरूप यादव,
निवासी-पलिउरा, खानपुर,
खानपुर कन्नौज उ०प्र०।

सूचना

साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राजीव कुमार पुत्र दीवारी लाल है। जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवं बैंक पासबुक में अंकित है। त्रुटिवश एल०आई०सी० पॉलिसी सं० 208942697 में मेरा नाम राजेश कुमार माथुर अंकित हो गया है। जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राजीव कुमार पुत्र दीवारी लाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजीव कुमार पुत्र दीवारी लाल,
निवासी-ई०डब्ल्यू०एस० 845 रतनपुर कालोनी,
पनकी गंगागंज पनकी, कानपुर नगर।

सूचना

साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रीती अग्रवाल पुत्री विपुल कुमार जैन पत्नी सचिन अग्रवाल है। जो मेरे पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश एल०आई०सी० पॉलिसी सं० 232492821 में मेरा नाम करुणा अग्रवाल अंकित हो गया है। जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रीती अग्रवाल पुत्री विपुल कुमार जैन पत्नी सचिन अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रीती अग्रवाल पुत्री विपुल कुमार जैन,
पत्नी सचिन अग्रवाल,
निवासिनी-111/217 हर्ष नगर कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स हमदर्द राईस मिल, ग्राम ठिरियादान पो० मानपुर जिला मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) नामक फर्म की पार्टनरशिप डीड दिनांक 18 अगस्त, 1990 को बनायी गयी, जिसका पंजीकरण पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत पंजीकरण सं० बी- 8283 पर दिनांक 06 नवम्बर, 1990 को कराया गया। फर्म पंजीकरण के समय 1. श्री अब्दुल माजिद, 2. श्री मौ० साजिद, 3. श्री मौ० तय्यब, 4. श्री अब्दुल कदीर 5. श्री मौ० असलम, 6. श्री मौहम्मद सउद, 7. श्री जुल्फिकार अली, 8. श्री मौ० अकरम, 9. श्री मौ० मुकर्रम, 10. श्री मौ० लुकमान, 11. श्री लियाकत अली, 12. श्री रियासत अली पार्टनर्स थे। दिनांक 16 फरवरी, 1996 को श्री मौ० साजिद व दिनांक 18.05. 2024 को श्री मौ० लुकमान एवं दिनांक 20 जनवरी, 2025 को श्री मौ० तय्यब की मृत्यु हो गयी और शेष पार्टनर्स की आपसी सहमति से दिनांक 26 जुलाई, 2025 को फर्म का विघटन हो गया है।

अब्दुल माजिद,
पार्टनर
मेसर्स हमदर्द राईस मिल,
ग्राम ठिरियादान पो० मानपुर, जिला मुरादाबाद।

सूचना

फर्म मेसर्स अंजनी इंटरनेशनल, पता 35/36/ए. मानसरोवर निकट ग्रीन पार्क हरुनगला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश-243006 जिसकी पंजीकरण सं०-BAR/0015206 है, यह उपरोक्त फर्म दिनांक 10 अप्रैल, 2023 से निरन्तर सुचारु रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म से एक साझेदार श्री आशुतोष अग्रवाल दिनांक 31 दिसम्बर 2023 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये हैं, व दिनांक 15 सितम्बर, 2024 को दो अन्य साझेदार श्री आदेश पांडे व श्री कपिल अग्रवाल भी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये हैं, सेवानिवृत्त साझेदारों का फर्म पर व फर्म का सेवानिवृत्त साझेदारों कोई बकाया शेष नहीं है। उपरोक्त फर्म में दिनांक 15 सितम्बर, 2024 को पूर्व साझेदारों की सहमति व स्वेच्छा से श्री मंयक अग्रवाल को साझेदार के रूप में सम्मिलित किया गया। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में दो साझेदार क्रमशः 1- निशांक अग्रवाल पुत्र श्री राकेश कुमार अग्रवाल 2-मंयक अग्रवाल पुत्र श्री राकेश कुमार अग्रवाल हैं।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि साझेदारी के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

निशांक अग्रवाल,
साझेदार,
मेसर्स अंजनी इंटरनेशनल,
पता- 35/36/ए. मानसरोवर निकट ग्रीन पार्क,
हरुनगला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स तायल सर्विस स्टेशन पता-झिंझाना शामली उ०प्र० 247776, जिसकी पंजीकरण सं०-SMU/0012773, दिनांक 10 अगस्त 2022 है, में साझीदार 1. संजय तायल 2. संदीप कुमार हैं। दिनांक 03 सितम्बर, 2025 की डीड के अनुसार संजय तायल व संदीप कुमार दोनों साझीदारों की आपसी सहमति से फर्म विघटित कर दी गयी है।

संदीप कुमार,
पार्टनर
मेसर्स तायल सर्विस स्टेशन,
पता-झिंझाना शामली उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स कौशिकी ट्रान्सपोर्ट, भिखमपुर रोड पोस्ट-देवरिया जनपद देवरिया उ०प्र० नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 19 जून, 2007 से श्रीमती शान्ति देवी एवं श्रीमती उर्मिला देवी जी साझेदार थे। यह की उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्मस सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण सं०—G-2097 पर पंजीकृत है। यह की उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से श्री शशि भूषण जी उक्त फर्म में तृतीया साझेदार के रूप में शामिल हो चुके हैं तथा साझेदार श्रीमती शान्ति देवी जी की मृतक दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 को हो चुकी है, अब उक्त फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 से क्रमशः श्रीमती उर्मिला देवी जी एवं श्री शशि भूषण जी है। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।

उर्मिला देवी,
साझेदार,
मेसर्स कौशिकी ट्रान्सपोर्ट,
भीखमपुर रोड, पोस्ट-देवरिया,
जनपद देवरिया, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शारदा प्लाईवुड, पता गाटा सं० 247, ग्राम टिसुआ, विलेज हरेला तहसील फरीदपुर जिला बरेली व ब्रांच आफिस एससीओ -3, सनसिटी कालोनी खन्ना, जिला लुधियाना, पंजाब जिसकी पंजीकरण सं०— BAR/0018886 है, यह उपरोक्त फर्म दिनांक 6 जुलाई, 2016 से निरन्तर सुचारु रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म का नाम दिनांक 31 मई, 2025 मेसर्स शारदा प्लाईवुड के स्थान पर मेसर्स मैगनस पैनलस हो गया है व दिनांक 31 मई, 2025 को एक नया साझेदार श्री विनायक गुप्ता पुत्र श्री राकेश गुप्ता अन्य साझेदारों की सहमती व स्वेच्छा से फर्म में सम्मिलित हुआ। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में अब कुल 7 साझेदार क्रमशः 1. अंकित गोयल 2. लोकेश अग्रवाल 3. राकेश अग्रवाल 4. नमन गुप्ता 5. राघव गुप्ता 6. अनन्त गोयल 7. विनायक गुप्ता साझेदार है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त साझेदारी के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अंकित गोयल,
साझेदार,
मेसर्स मैगनस पैनलस,
पता—गाटा सं० 247, ग्राम टिसुआ, विलेज हरेला,
तहसील फरीदपुर जिला बरेली व ब्रांच आफिस,
एससीओ -3, सनसिटी कालोनी खन्ना,
जिला लुधियाना, पंजाब।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० दम्मामल नन्मूल ग्लास इण्डस्ट्रीज, जिजौली मक्खनपुर, फिरोजाबाद-283203 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है—

यह कि दिनांक 30 नवम्बर, 2025 को फर्म के साझेदार श्रीमती माधवी अग्रवाल पत्नी श्री राजेश अग्रवाल निवासी-12 बी/103 सेन्ट्रल जेल रोड, आगरा, श्री अभिषेक मित्तल पुत्र श्री चट्टन लाल मित्तल निवासी-ए-133 गनेश नगर, फिरोजाबाद तथा श्रीमती रिचा मित्तल पत्नी श्री अभिषेक मित्तल निवासी-ए-133 गनेश नगर फिरोजाबाद फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 को श्री संदीप कुमार मित्तल पुत्र श्री कृष्ण मित्तल निवासी-बी-ब्लॉक 7/8 गनेश नगर फिरोजाबाद को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है। अब फर्म में श्री विनीत मित्तल, श्री संदीप कुमार मित्तल तथा श्री मनोज मित्तल साझेदार हैं।

विनीत मित्तल,
साझेदार,
मे० दम्मामल नन्मूल ग्लास इण्डस्ट्रीज,
जिजौली मक्खनपुर, फिरोजाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मस्तराम पुत्र बलिकरन है, जो मेरे बैंक पासबुक परिवार रजिस्टर तथा राशन कार्ड और उपजिलाधिकारी

की जाँच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-2682 8320 3943 में मेरा नाम विजय कुमार अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मस्तराम पुत्र बलिकरन के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मस्तराम पुत्र बलिकरन,
ग्राम जगरनाथपुर, पो0 लालगंज,
थाना लालगंज परगना महुली पश्चिम,
तहसील व जिला बस्ती।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 हमारा पम्प कादिरपुर, प्रयागराज में स्थित है। उपरोक्त फर्म में श्री हरी शंकर पाण्डेय, श्रीमती रोजिया नफीस निवासी जिला प्रयागराज हम दोनों साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 11 अप्रैल, 2016 को संचालन की थी। दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को अपनी स्वेच्छा से हम दोनों साझेदारों ने विघटित कर दिया है। फर्म पर किसी प्रकार की न ही कोई लेन-दारी या देनदारी बकाया है और न ही हम दोनों साझेदारों में कोई मतभेद है।

रोजिया नफीस,
साझेदार,
मे0 हमारा पम्प कादिरपुर, प्रयागराज।
सी-778 जी0टी0बी0 नगर करैली, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आराध्या शुक्ला पुत्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ला है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-3976 8772 3432 में उसका नाम संस्कृति अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आराध्या शुक्ला पुत्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

वीरेन्द्र कुमार शुक्ला,
ग्राम बनकटकामा पो0 अदलाबाद,
कुण्डा प्रतापगढ़।

NOTICE

It is to hereby inform that my wife's correct name is Aruna Mishra, wife of Avinash Chandra Mishra, as listed on her Aadhaar card and PAN Card- My wife's name has been mentioned as Aruna Kumari, Arun Kumari and Aruna Mishra in my service records. All three names above are of my wife's. It is hereby certified that I have personally completed all legal formalities in this regard.

Avinash Chandra Mishra,
House No- 180C/12A Rajrooppur,
Prayagraj.